5 विद्युत प्रसारण लाइन का टोह सर्वेक्षण

5.1 परिचय

विद्युत प्रसारण लाइन हिमाचल के कुल्लू मण्डी, बिलासपुर तथा सोलन जिलों में से होकर गुजरती है। यह मार्ग एक रेखीय दूरी को पार करता हैं। प्रस्तावित विद्युत प्रसारण लाइन भौतिकीय तत्व, भूमि उपयोग पैटर्न, रहन-सहन के ढ़ंग तथा प्रस्तावित प्रसारण पथ से निकटता को ध्यान में रखता हैं। चारों जिलों में भूभाग पूर्णतः पर्वतीय हैं तथा चट्टानी भूभाग बड़ी घाटियों में फैला हुआ है। वेदिका कृषि इन क्षेत्रों में मुख्यतः अपनाई जाती है तथा बस्तियां और साथ ही कुछ छोटे गांव भी है जो काफी उचाँई पर बसे हुए हैं।

5.2 टोह निष्कर्ष

प्रसारण लाइन मण्डी तहसील के प्रीनि गांव से शुरू होती है। इसका प्रारम्भिक बिंदु 1987 मी0 (समुद्र तल से ऊपर) की ऊंचाई पर है। यह प्रस्तावित है कि प्रसारण लाइन पहाड़ों पर समान ऊँचाई से गुजरेगी या जहाँ तक सम्भव होगा, बस्ती वाले भू-भाग तथा खेतों को छोड़कर गुजरेगी तथा प्रस्तावित भूमि दूरी 15 मी0 की होगी। लाइन की कुल लम्बाई इसके लक्ष्य तक लगभग 185 कि0मी0 होगी, सोलन जिले में नालागढ़ सब-स्टेशन जहाँ यह राष्ट्रीय ग्रिड में पहुँचेगी। विद्युत प्रसारण लाइन की सामाजिक-आर्थिक निष्कर्ष निम्नलिखित उप-अनुभागों में दिए गए हैं :-

5.2.1. जनसंख्या, घनत्व और भौगोलिक क्षेत्र

चारों जिलों में मण्डी की जनसंख्या सर्वाधिक है तथा यह राज्य की कुल जनसंख्या का 14.83% हैं जबकि बिलासपुर की जनसंख्या न्यूनतम 5.60% है।

तालिका 5.1 परियोजना जिलों की जनसंख्या, घनत्व तथा भौगोलिक क्षेत्र

जिला	भौगोलिक क्षेत्र सर्वे कि0मी0	घनत्व प्रति सर्वे कि0मी0	कुल	ग्रामीण	शहरी	राज्य की जनसंख्या से जिला का %
बिलासपुर	1167	292	340735	318786	21949	5.60
कुल्लू	5503	69	379865	349772	30093	6.25
मण्डी	3950	228	900987	840029	60958	14.83
सोलन	4936	258	499380	408205	91175	8.22
हिमाचल	55673	109	6077278	5482367	594881	100.00

नोट स्त्रोत : 2001 में जिला आकड़े, वित्त तथा सांखयिकी विभाग, हि0प्र0.

हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः ग्रामीण जनसंख्या है तथा 2001 की जनगणना के अनुसार 90.21% जनसंख्या ग्रामीण है। चारों ही जिलो में 80% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण है तथा बिलासपुर से अधिकतम 93.56% ग्रामीण जनसंख्या है। बिलासपुर में जनसंख्या घनत्व अधिक हैं तथा कुल्लू में कम हैं। भौगोलिक क्षेत्र कुल्लू के पास हैं जो कुल राज्य क्षेत्र का 9.88% हैं। कम घनत्व के साथ कम जनसंख्या कुल्लू में हैं यह दर्शाता हैं कि यह भूभाग अन्य चार जिलों की तुलना में काफी पर्वतीय तथा रहने लायक नहीं हैं।

5.2.2 दशकीय वृद्धि दर तथा लिंग अनुपात

राज्य के साथ-साथ सभी चारों जिलों की वृद्धि दर वर्ष 1981-1991 से 1991 से 2001 की अवधि में अधिक पाई गई।

तालिका 5.2 दशकीय वृद्धि दर तथा लिंग अनुपात

राज्य/जिला	दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर		प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या	
वर्ष	1981 - 91	1991 - 01	1991	2001
हिमाचल प्रदेश	+ 20.79	+ 17.53	976	970
कुल्लू	+ 26.68	+ 25.60	920	928
मण्डी	+ 20.40	+ 16.05	1013	1014
बिलासपुर	+ 19.41	+ 15.35	1002	992
सोलन	+26.02	+30.64	909	853

स्त्रोत :- भारत की जनगणना, 2001

सभी जिलों में वृद्धि दर साकारात्मक है तथा 1981-91 से राज्य के औसत +20.79 की तुलना में कुल्लू में चारों राज्यों में से अधिकतम है। 1991 से 2001 तक में जिलों में अधिकतम वृद्धि दर सोलन में है। बिलासपुर ने दोनों कालावधियों में चारों राज्यों की तुलना में सबसे न्यूनतम वृद्धि दर दर्शाई है।

राज्य 1991 से 2001 से लिंग अनुपात में कमी आई हैं । यद्यपि चारों जिलों में से 1991 से 2001 से कुल्लू तथा मण्डी में लिंग अनुपात में सुधार दिखा हैं, बिलासपुर तथा सोलन नें नकारात्मक झुकाव दर्शाया है तथा इसी कालावधि में प्रति हजार पर महिलाओं की संख्या में भारी कमी से औसतन लिंग अनुपात बढ़ा हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं तथा इनमें से एक कारण दूसरे क्षेत्रों से इन क्षेत्रों में रोजगार अवसर अधिक उपलब्ध होने के कारण आवास से पुरूष जनसंख्या में बढ़ोतरी होना, हो सकता हैं।

5.2.3 साक्षरता

चारों जिलों में से प्रत्येक जिले में साक्षरता दर ने एक सकारात्मक झुकाव दर्शाया हें तथा इसमें 1991 से 2001 में बढ़ोत्तरी हुई है। कुल्लू ने 1991 से 2001 से साक्षरता दरों में अधिकतम सुधार दर्शाया है। बिलासपुर तथा सोलन में 2001 में राज्य औसत की तुलना में अधिक साक्षरता दर दर्शाई है।

तालिका 5.3 साक्षरता दरें

राज्य/जिला	साक्षरता दर					
	व्यक्ति		पुरूष		महिलाएँ	
वर्ष	1991	2001	1991	2001	1991	2001
हिमाचल	63.86	77.13	75.36	86.02	52.13	68.08
कुल्लू	54.82	73.36	69.64	84.55	38.53	61.24
मण्डी	62.74	75.86	76.65	86.67	49.12	65.36
बिलासपुर	67.17	78.80	77.97	87.13	56.55	70.53
सोलन	63.30	77.16	74.67	85.35	50.69	67.48

स्त्रोत : भारत जनगणना, 2001

राज्य के साथ-साथ चारों जिलों में महिला साक्षरता में सुधार आया हैं। 1991 से 2001 में कुल्लू जिले में अन्य चारों जिलों की तुलना में महिला साक्षरता में अच्छा सुधार हुआ है। 2001 में चारों जिलों में से सोलन में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक रही।

5.2.4 अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति

सभी चारों जिलों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या हैं। कुल्लू में सर्वाधिक कुल जनजातीय जनसंख्या का 5% है जबकि सोलन में कुल जनजातिय जनसंख्या का नगण्य भाग 1.12% रहता है। अनुसूचित जाति की संख्या बिलासपुर में नगण्य 0.59% हैं तथा मण्डी में सर्वाधिक 17.17% है।

तालिका 5.4 अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित-जनसंख्या

जिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
बिलासपुर	7681	7983
कुल्लू	87489	10914
मण्डी	224998	9417
सोलन	119527	2449
हिमाचल	1310296	218349

स्त्रोत : जिलों में 2001 के आकड़े वित्त एंव सांख्यिकी विभाग, हि.प्र.

5.2.5 व्यवसाय

यह देखा गया है कि राज्य की कुल श्रमिक संख्या से अश्रमिकों की संख्या का प्रतिशत अधिक है। यद्यपि कुल्लू, सोलन तथा मण्डी जिलों में कुल अश्रमिकों की संख्या श्रमिकों से कम है किन्तु यह भिन्नता केवल कुल्लू को छोड़कर जहाँ भिन्नता अधिक हैं, सामान्त हैं। बिलासपुर में अश्रमिकों की संख्या का प्रतिशत कुल श्रमिकों की संख्या से अधिक हैं।

तालिका 5.5 व्यवसायिक रूपरेखा

राज्य/जिला	कुल श्रमिक (%)	मुख्य श्रमिक (%)	सीमान्त श्रमिक	अश्रमिक (%)
कुल्लू	57.05	43.96	13.09	42.95
सोलन	52.70	34.57	18.13	47.30
मण्डी	50.44	29.89	20.55	49.56
बिलासपुर	48.95	32.52	16.43	51.05
हिमाचल	49.28	32.36	16.92	50.72

स्त्रोत : हिमाचल प्रदेश जनगणना, 2001

सभी चारों जिलों में राज्य के औसत की तुलना में सीमान्त श्रमिक जनसंख्या अधिक हैं।

तालिका 5.6 ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्यवसाहिक रूपरेखा

ग्रामीण राज्य/ जिला	मुख्य श्रमिक	सीमान्त श्रमिक	शहरी अश्रमिक	मुख्य श्रमिक	सीमान्त श्रमिक	अश्रमिक
कुल्लू	36.76	2.57	60.67	44.58	14	41.42
सोलन	44.19	1.66	54.15	32.41	21.82	45.77
मण्डी	29.91	3.99	66.10	29.89	21.75	48.36
बिलासपुर	34.43	3.34	62.23	32.38	17.34	50.28
हिमाचल	34.40	2.49	63.11	32.14	18.49	49.37

स्त्रोत : हिमाचल देश जनगणना, 2001

यह देखा गया हैं कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में अश्रमिक की प्रतिशत अधिक हैं। चारों ही जिलों में भी शहरी अश्रमिकों की जनसंख्या कुल श्रमिकों की जनसंख्या से अधिक हैं। ग्रामीण परिवेश यद्यपि भिन्न हैं तथा मुख्य तथा सीमान्त श्रमिक सभी चारों जिलों तथा राज्य में अश्रमिकों की तुलना में अधिक हैं।

5.2.6 भूमि का उपयोग

राज्य में स्थायी चरागाहों की भूमि को उपयोग 32.91% हैं तथा अन्य चरागाह भूमि तथा जंगल 24.11% हैं। मण्डी के पास कुल राज्य क्षेत्र के चारों जिलों में से सर्वाधिक क्षेत्र प्रतिशत हैं। इसके पास जंगल का सर्वाधिक क्षेत्र हैं। कुल्लू में कोई जंगल तथा स्थाई चरागाह नहीं दर्शाए गए हैं इस क्षेत्र के आकड़े पूरे नहीं हैं तथा वर्तमान में अनुपलब्ध हैं।

तालिका 5.7 भूमि का उपयोग (%)

राज्य जिला	कुल क्षेत्र	जंगल का श्रेत्र	बंजर तथा जुताई के क्षेत्र	गैर श्रमिक भूमि	स्थाई चरागाह तथा अन्य चरागाह	विभिन्न क्षेत्रों तथा के अधीन भूमि	जुताई वेस्ट भूमि	अन्य परती भूमि	जुताई का क्षेत्र
बिलासपुर	2.5	10.8	5.6	10.5	40.6	0.1	4.2	1.2	27
कुल्लू	1.1	0	2.4	11.9	0	0.7	6.6	0.4	78
मण्डी	8.8	43.8	6.1	0	24.5	0.1	1.1	0.2	24.2
सोलन	4.0	11.2	7.8	5.3	43.6	0.3	6.6	0.9	24.3
हिमाचल		24.11	19.99	5.15	32.91	1.48	2.37	0.61	13.38

स्त्रोत : जिले के आकड़े, वित्त एंव सांख्यिकी विभाग, हि.प्र., 2001

बिलासपुर के बाद अन्य आकंड़ो की अनउपलब्धता के कारण, कुल्लू में जुताई क्षेत्र अधिक है। मण्ड़ी के बाद सोलन में बजंर तथा कुषि आयोग्य भुमि अधिकतम है

मण्डी में लोगों के जीवन में तथा अर्थव्यवस्थ में जंगल बड़ी भूमिका निभाते हैं तथा इमारती लकड़ी, जलाने की लकड़ी, चिकित्सकीय जड़ी बूटियाँ, कच्चा माल प्रदान करते हैं। मण्डी, जोगिन्दर नगर, नाचन, सकेत, सुंदरनगर, कारसोग नामक जिलों में पाँच वन प्रभाग हैं, जिनमें देवदार, चील, फीर जैसे मुख पेड़ों की जातियाँ पाई जाती हैं। मण्डी में जुताई गहरी घाटियों में छोटे जोत क्षेत्र में या नदी-घाटी में सम्भव हैं। केवल वालह और चौतरा घाटी में भूमि समतल तथा उर्वरक हैं तथा यहाँ अनाजों की बुआई व्यापक पैमाने पर की जाती हैं।

बिलासपुर जिलें के जंगलो को चिल जंगल, झाड़ी जंगल तथा बांस जंगल की तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैं। यहाँ पर शीशम तथा टुन मुख्य पेंड़ हैं, जबकि व्यावसायिक जंगल टिम्बर, बांस, रेजिन, केटेचु का उत्पादन करते हैं।

यद्यपि कुल्लू में जंगल का क्षेत्र नापा नहीं गया जिला जनगणना पुस्तिका 1991 के अनुसार जिले की अर्थव्यवस्था के लिए वन काफी महत्वपूर्ण हैं। जंगल चिकित्सकीय जड़ी-बूटियाँ, मशरूम, जंगली जैतुन, शहतूत, देवदार के पेड़, कैल तथा अखरोट के पेड़, स्पूस, सिल्वर फीर आदि से समृद्व हैं।

5.2.7. कृषि

सभी चारों जिलों में कृषि ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं। जिला जनगणना पुस्तिका 1991 के अनुसार मण्डी जिला अनाज उत्पादन में कम है तथा सुंदरनगर में बलाह घाटी तथा धरमपुर ब्लॉक में संदोल क्षेत्र केवल अनाज उत्पादन के मुख क्षेत्र हैं। जिले की मुख्य नकदी फसलें आलू, अन्य बेमौसमी सब्जियाँ तथा अदरक है।

नकदी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कुल्लू जिले की जलवायु अनुकूल है जिनमें मुखतः बीज आलू बेमौसमी सब्जियाँ, अनाज, बाजरा आदि फसलें उगाने की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ जोत क्षेत्र छोटे हैं तथा जुताई खेती की पुरातन तकनीकों से की जाती हैं। कुल्लू में शीतोष्ण तथा उप-उष्णकटिबंधीय फलों जैंसे सेब, आड़ू, खूबानी, जैतून, काकबदरी आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता हैं।

बिलासपुर जिले में प्रति-अनुकूल जलवायु के कारण बागवानी उत्पादन अच्छा होता हैं। जिला उष्णकटिबंधीय जोन में पड़ता है तथा फल जैसे आम, लीची, आलूबुखारा, नाशपाती पैदा होती हैं। (स्त्रोत ःजिला जनगणना पुस्तिका, बिलासपुर, 1991)

सोलन जिले की मुख्य फसलें मक्का, गेहूँ, चावल, दालें हैं तथा नकदी फसलों में गन्ना तथा आलू शामिल हैं। कृषि अधिकतर वर्षा से होती हैं तथा जिला जनगणना पुस्तिका 1991 के अनुसार जिलें को वर्गीकरण के लिए तीन विभिन्न घाटी क्षेत्रों जैसे :- (1) नालगढ़, सपरून तथा कुनिहार (2) मध्य पहाड़ (3) सोलन, कसौली तथा कंडाघाट तहसील के ऊँचे पहाड़ों में बांटा जा सकता हैं। नालगढ़ तथा कुनिहार की घाटी अनाज फसलें, आलू, आम तथा सिट्रस फलों के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में खेतीहर, व्यवसायिक उद्देश्य से मशरूम पैदा कर रहे हैं।

चारों जिलों में से मण्डी के पास परती भूमि तथा फसल क्षेत्र सर्वाधिक है। बिलासपुर में कमतर कुल फसल क्षेत्र है एवं परती भूमि भी अपेक्षाकृत कम है।

तालिका

5.8. कृषि क्षेत्र का वर्गीकरण

जिला	वर्तमान परती	अन्य परती	कुल क्षेत्र	कुल फसल	कुल क्षेत्र	एक से अधिक बार प्रदर्शित क्षेत्र
बिलासपुर	1.2	1.6	2.8	30.8	59.4	28.6
कुल्लू	2.6	0.2	2.8	36.6	63.1	26.5
मण्डी	5.8	0.3	6.1	91.1	163.6	72.5
सोलन	4.9	0.8	5.7	39.4	65.6	26.2
हिमाचल	55.4	22.7	78.1	560.1	986.3	426.2

स्त्रोत हिमाचल प्रदेश की सांख्यकि रूपरेखा, 1999

राज्य में अधिकतम क्षेत्र गेहूँ तथा मक्का उत्पादन में लगा हैं। समानतः चारों जिलें में अधिकतम क्षेत्र गेहूँ तथा मक्का के उत्पादन में लगा हें। अन्य तीन जिलों की तुलना में कुल्लू जिलें में आलू उत्पादन सर्वाधिक हैं।

तालिका 5.9 मुख्य फसलों का क्षेत्र 1998-99 (है0)

जिला	चावल	मक्का	गेहूँ	जौ	सादा बाजरा	अन्य अनाज	दालें	गन्ना	आलू	प्याज	टमाटर	मिर्ची	अदरक	खाद्यतेल बीज
बिलासपुर	3.76	44.56	48.66	0.58	0.00	0.01	0.86	0.11	0.02	0.10	0.34	0.03	0.25	0.72
कुल्लू	3.28	30.88	45.98	6.60	0.20	1.30	5.91	0.00	1.96	0.24	0.38	0.30	0.00	0.19
मण्डी	13.75	32.31	44.36	2.71	0.31	1.75	2.56	0.00	1.22	0.07	0.09	0.14	0.04	0.63
सोलन	5.90	38.69	38.50	3.18	0.00	0.02	6.65	0.50	0.23	0.05	3.81	0.02	0.58	1.88
हिमाचल	9.33	34.20	43.14	3.04	1.21	0.71	3.85	0.38	1.57	0.10	0.47	0.11	0.21	1.68

स्त्रोत : जिले के आकड़े, अर्थशास्त्र एंव संख्यायिकी विभाग, हि. प्र., 2001

बिलासपुर तथा सोलन में राज्य के औसत की तुलना में बड़े जोत क्षेत्र हैं जबकि कुल्लू तथा मण्डी में काफी छोटे जोत क्षेत्र हैं।

तालिका 5.10 प्रचालनात्मक जोत तथा क्षेत्र

जिला	जोत का औसत आकार (हैं0 में0)
बिलासपुर	1.08
कुल्लू	0.78
मण्डी	0.95
सोलन	1.85
हिमाचल देश	1.16

स्त्रोत : हिमाचल प्रदेश की सांखयिकीय रूपरेखा, 1999

5.3 विद्युत प्रसारण लाइन के पथ का विवरण

5.3.1 पथ विवरण

विद्युत प्रसारण लाइन हिमाचल के कुल्लू मण्डी, बिलासपुर तथा सोलन जिलों में से होकर गुजरती है। यह मार्ग एक रेखीय दूरी को पार करता है। प्रस्तावित विद्युत प्रसारण लाइन भौतिकीय तत्व, भूमि उपयोग पैटर्न, रहन-सहन के प्रकार तथा प्रस्तावित प्रसारण पंथ से निकटता को ध्यान मे रखता है। चारों जिलों में भूभाग पूर्णतः पर्वतीय हैं तथा चट्टानी भूभाग बड़ी घाटियों में फैला हुआ है। वेदिका कृषि इन क्षेत्रों में मुख्यतः अपनाई जाती है तथा बस्तियां और साथ ही कुछ छोटे गांव भी हैं जो काफी ऊंचाई पर बसे हुए हैं।

प्रसारण लाइन मनाली तहसील के प्रीनि गांव से शुरू होती हैं। इसका प्रारम्भिक बिंदु 1987 मी० (समुद्र तल से ऊपर) की ऊचांई पर है। यह प्रस्तावित है कि प्रसारण लाइन पहाड़ों पर समान ऊँचाई से गुजरेगी या जहां तक सम्भव होगा, बस्ती वाले भू-भाग तथा खेतों को छोड़कर गुजरेगी तथा प्रस्तावित भूमि दुरी 15 मी० की होगी। लाइन की कुल लम्बाई इसके लक्ष्य तक लगभग 185 कि०मी० होगी, सोलन जिले में नालागढ़ सब-स्टेशन जहां यह राष्ट्रीय ग्रिड में पहुँचेगी।

5.3.2 कुल्लू जिला

पथ के प्रारम्भिक भाग में प्रीनि, साजला तथा जगतसुख गाँव पड़ते हैं जहाँ लाइन सेब उद्यान तथा वेदिका फार्मों से गुजरती है। इस क्षेत्र में उगने वाली मुख्य फसलें चावल, सरसों तथा लाल बीन्स हैं। लाइन मुख्य बस्ती से हटकर गुजरती हैं किन्तु यह सम्भावना हैं कि यह पर्वत पर छितरे कुछ घरों के ऊपर से गुजरेगी। उदाहरण के लिए बावेली गाँव में ऊँचें क्षेत्र पहाड़ पर एक पुरवा हैं जो लाइन के अंदर आ सकता हैं। लाइन का एक बड़ा भाग वन भूमि से गुजरता हैं जो धनी सब्जियों से लेकर पेड़ विहीन भागों में फैला है। यह भी संभावना है कि यह चरागाहों या गोचरभूमि से गुजरेगा। अनुमानतः इसके पथ को 6 नदियों से गुजरने की संभावना है, एक जगतसुख के पास तथा अन्य खगनाल नाला, हरिपुर नाला, खोजल नाला, रॉयसन/शिरडी खाड़ तथा बजौरा के पास है। जिले के पूरे में प्रस्तावित लाइन ब्यास नदी के दाऐं किनारे पर है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर है। जबकि गांव तथा छोटे शहर पहाड़ों के नीचले भाग में स्थित हैं, प्रसारण लाइन पहाड़ के उपर 100-400 मी० की दूरी से गुजरेगी। लाइन नगर गांव के पास से गुजरेगी, जो पर्यटक रूचि का एक स्थान है तथा वहां नागर म्यूजियम नामक म्यूजियम है। प्रसारण लाइन के पथ पर पडने वाले अन्य गॉव/शहर है कारजन, हरिपुर, सारसाई,चक्की,भुटर शहर,सादाभाई तथा बजौरा।

5.3.3 मण्डी जिला

मण्डी जिले में विद्युत प्रसारण लाइन के पथ पर पडने वाला पहला गांव है नागवैन, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा विधुत प्रसारण लाइन ब्यास नदी के दाएँ किनारे पर आती है

। नागवैन में कुछ उंचाई पर बस्तियां है तथा इन बस्तियों के उपर से लाइन के गुजरने की संभावना है।

अगला गांव टाकोहली जो राजमार्ग तथा पहाडी के नीचे दाएं तरफ स्थित है यहां लाइन 500 मी0(अनुमान तक)पहाड़ी क्षेत्र की ऊंचाई पर से गुजरती है। अन्य गांव/शहर पनसारा, ऑट, थलोट, पंड़ोह (शहर) जगत तथा बड़ौदा है। थालोट के निकट, लारजी जल विद्युत परियोजना का निमार्ण चल रहा है। हि0प्र0रा0बि0बो0 के वर्तमान विद्युत लाइन इस बिंदु से दिखाई देती है। यह लाइन पहाड़ों पर नदी के दांई ओर 200मी0 की ऊंचाई पर है पंड़ोह एक छोटा शहर है, जिसका विकास बांध(ब्यास नदी पर) की उपस्थिति से हुआ है तथा जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। इस शहर के आसपास प्रस्तावित विद्युत प्रसारण लाइन नदी के बाएँ किनारे को पार करती है। शहर धनी आबादी वाला है तथा नदी के दोनों किनारों की ओर पहाडों पर विस्तृत रूप से फैला है। गांवों में, आगे कुछ छोंटे वेदिका फार्म तथा पहाडों पर कुछ छोटे-छोंटे वन क्षेत्र है। बडौदा के गांव के निकट पहाड़ बंजर हैं, वेदिका फार्म तथा घर सभी छितरे हुए हैं। प्रसारण लाइन पहले यहाँ से गुजरती है और वह अनुमानतः 100 मी0 की ऊंचाई पर है।

प्रसारण लाइन की राह में आने वाला अगला शहर मण्डी है जहां प्रसारण लाइन लगभग नदी के बाएं किनारे सड़क के समानांतर है। राष्ट्रीय राजमार्ग नदी के दाएं ओर है। अगले गांव है बुटकर, चक्कर तथा लूनापानी ,नेर चौक के पास (एक छोटा शहर जो ओटो मरम्मत के लिए प्रसिद्व है) धर्नोटा, सुंदरनगर (शहर) तथा हराबाग। इस क्षेत्र में घाटी लगभग 2 कि.मी. चौड़ी है तथा इस कारण खेती-क्षेत्र बड़े है। यद्यपि, प्रसारण लाइन को पहाड़ों पर से गुजारना प्रस्तावित है जिससे कि वह खेतों या बस्तियों में से न गुजरे। हराबाग के पहाड़ बंजर है जिनमें उंचाई पर छोटे-छोटे वन प्रदेश हैं, पर बस्तियां नहीं हैं। इस जगह पर आम वनरोपण सडक के साथ-साथ है (संदर्भ फोटो डॉक्यूमेंटेशन परिशिष्ट ख)

5.3.4 बिलासपुर जिला

इस पथ पर पहला गांव कांगो है। लाइन का उँचे पहाड़ों के बाएं किनारे से गुजारना प्रस्तावित है जहां कोई पेड़ नहीं है। वर्तमान विद्युत प्रसारण लाइन यहां से साफ दिखाइ देती है। (संदर्भ फोटो डॉक्यूमेंटेशन परिशिष्ट ख) प्रसारण रूट पर अगला सलैपैड गांव के निकट कोल बांध है। यहां विद्युत उत्पादन सुविघा तथा यहां एक सब-स्टेशन है। इसके बाद बरमाना शहर है। जो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। शहर घनी आबादी वाला है तथा सड़कों के साथ मुख्य बस्तियां हैं। विद्युत प्रसारण लाइन का पथ, पहाडों के ऊपर से गुजरना है, जो अधिकतर बंजर है अगला गांव बेरी है जहां विस्तृत फैले फार्म है तथा पहाड़ बंजर है। पहाड़ों पर भी कुछ आबादी है जो विद्युत प्रसारण लाइन के नीचे आ सकती है।(संदर्भ फोटो डॉक्यूमेंटेशन परिशिष्ट ख) बिलासपुर शहर से तुरन्त पश्चात पडगाल गांव है जहां प्रसारण लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग से 15 कि0मी0 की

दूरी पर है। रूट पर अगला चाडोल गांव है जहां बडी आवासीय बस्तियां है, पहाड़ों की शिखरों तक वेदिका फार्म हैं तथा जगंल पेड़ों से ढके हैं।

5.3.5 सोलन जिला

विद्युत प्रसारण लाइन का भाग जो सोलन से गुजरता है वह राष्ट्रीय राजमार्ग से (15 कि0मी0 से अधिक) दूर है। यहां विद्युत प्रसारण लाइन पथ तुलनात्मक रूप से छोटा है। क्षेत्र घाटियों तथा ऊंची पहाड़ियों मे फैला हुआ है। खेती पहाड़ों पर छोटी वेदिकाओं में ही केवल संभव है। भूमि का अधिकतम क्षेत्र झाड़ी जगंलों या उचांई पर कैल या देवदार पेडों के साथ घास वाली जमीन है। प्रस्तावित पथ के निकट या होकर गुजरने वाला शहर गांवों में कैरघाट, बारा, बानल, पुनाहला, मुसैवाल, पंडाल, शाहपुर, नंदपुर आते है। यहां लाइन अपने लक्ष्य पर नालागढ पर पहुंचती है, जो राष्ट्रीय ग्रिड का एक सब-स्टेशन है।

5.3.6 पर्यावरणीय तत्वों का वर्णन

विद्युत प्रसारण लाइन को वर्णन में सुविधा के लिए चार खण्डों में बांटा गया हैःखण्ड क (प्रीनि से बाजौरा), खण्ड ख (बाजौरा से हराबाग), खण्ड ग (हराबाग से स्वारघाट) तथा खण्ड घ (स्वारघाट से नालागढ)।

पर्यावरण आधाररेखा निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत की गई हैः

तालिका 5.11 खण्ड क के पर्यावरणीय विवरण

मापदण्ड	विवरण
जलवायु	परियोजना का खण्ड क कुल्लू जिले में आता है तथा यहां ठड़ी तथा सूखी जलवायु है। इस खण्ड में सामान्य वर्षा होती है तथा इनमें अधिकतम वर्षा जुलाई, अगस्त, दिसंबर, तथा जनवरी महिनों के दौरान होती है। अगस्त महीना इस पूरे खण्ड में सर्वाधिक गीला होता है। हिमपात सामान्यतः दिसम्बर तथा ऊंचे खण्ड पर विशेषतर ब्यास नदी का दायां भाग 'जहां प्रसारण लाइन का भाग डालना है, हिमपात से ढका रहता है।
भूविज्ञान	यह खण्ड लघु तथा बहृत हिमालय सक्रंमण क्षेत्र बनाता है तथा एक विशिष्ट उबड़-खाबड़ पहाड़ियों के साथ सन्तुलित से उंचा भू-भाग प्रस्तुत करता है। यह उंचाई 1800 से 3000 मी0 की श्रेणी में भिन्नता लिए हुए है। उच्च क्षेणी में ,जहां विद्युत प्रसारण लाइन का आना प्रस्तावित है, वह बर्फ की चोटींयों तथा ग्लेशियरों से ढकी है। क्षेत्र में जो नदियां बहती है वह ब्यास तथा इसकी सहायक नदियां है प्रसारण लाइन के इस

खण्ड मे फिलाइट, स्लेट, क्वार्टजाइज़ चूना, सचीस्ट तथा ग्रेनाइट प्रकार की चट्टाने पाई जाती है।

वन

प्रस्तावित प्रसारण लाइन के मार्ग में विस्तृत वन क्षेत्र है। यह वन मुख्यतः घने तथा उंचाई पर पाए जाने वाले समान प्रकार के पेडो से भरे हुए हैं। इन वन क्षेत्रों में देवदार, कैल, चीड, अखरोट, हॉर्स चेस्टनट तथा ओक आदि श्रेणीयों के पेड़ पाये जाते हैं। वनस्पति तथा बर्फ रेखा की सीमा से नीचे की ओर एलपाइन चरागाहों द्वारा पेड़ बढोतरी मे बदला गया है।

मुख्य तत्व

इस खण्ड में करजा गांव के निकट कुछ टुकड़ो को छोड़ कर पूरा क्षेत्र घने वनों से भरा हुआ है। इन कुछ टुकड़ों में सेब के बागान है जो धाराएं इनमें से गुजरती हैं, वे निम्नलिखित धाराएं हैः

दुंहगन धारा
खाखनाल धारा
हरिपुर धारा तथा
चाकी धारा

इसके अलावा, नगर दुर्ग एक ऐतिहासिक स्थान है तथा रास्ते में स्थित होने के कारण इसकी बहुत पर्यटन महत्ता है। उसकी उंचाई जहॉ विद्युत प्रसारण लाइन खड़ी की जाने का प्रस्ताव है उससें काफी कम है। ब्यास नदी पर एक पुल है जो नगर तथा पारलीकुल्ल को जोडता है यह विस्तार में महत्वपूर्ण चौरास्ता है। इसके अलावा, विस्तार,भांटूर विमान हवाई अडड्े के नजदीक स्थित है, जहॉ प्रसारण लाइन के लिए विशेष विचार की जरूरत है। यह पथ खोखन सैचूरी के लिए नजदीक है

तालिका 5.12 खण्ड ख का पर्यावरणीय विवरण

मापदण्ड	**विवरण**

जलवायु — यह विस्तार मण्डी जिले के अदंर पडता है। तथा यहां की जलवायु स्थान की उंचाई के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। जलवायु अधिकतर शीतोष्ण है 1300 मी0 से अधिक उंचाई पर सर्दियों के मौसम में हिमपात होता है। इस विस्तार में पड़ने वाले क्षेत्र में गर्मियां भी अत्याधिक गर्म रहती है। सर्दियां मध्य नवंबर से शुरू होती है तथा मार्च के मध्य तक चलती है। इसके पश्चात तापमान-मानसून के शुरू होने तक बढ़ता है जो जुन के आखिरी सप्ताह या शुरूआती जुलाई से शुरू होती है तथा मध्य सितम्बर तक चलती है। इस क्षेत्र में राज्य औसत की तुलना से अधिक वर्षा होती है

भूविज्ञान — इस खण्ड का कुछ भाग अज्ञात समय के मध्य हिमालय क्षेत्र की चट्टानों, तथा कुछ भाग तृतीयक शैलों तथा बालू पत्थर पर पड़ता है चट्टाने स्लेट, कॉन्ग्लोमीटर तथा शिमला क्षेत्र के क्रोल समुह से बनी है। बालू पत्थर तथा उप-हिमालय क्षेत्र के शैल, निम्न तृतीयक अवस्था के सिरमौर श्रृंखला से तथा शिवालिक श्रृंखला से सम्बन्ध है। चट्टानों की बनावट उप-हिमालय श्रृंखला में श्रेणीबद्व की जा सकती है जिसमें तृतीयक चट्टानों तथा हिमालय श्रृंखला के आमेटामोर्फोटर्ड सेंडीमेंटरी चट्टानों तथा पूर्व-तृतीयक अवस्था की मेटामार्फिक -एवं-इग्नेशियस चट्टानें सम्मिलित है।

वन — इस खण्ड़ में पाये जाने वाले वन सम्मिलित श्रेणी के हैं। देवदार, चील, कैल, सिल्वर फिर आदि तथा सार्द क्षेत्र के मुख्य पेड़ों में सिम्मबल, टून, मल्बेरी, विलो, प्रसिद्व ऑक, अखरोट तथा बांस पाए जाते है। वन केवल अधिकतर छितरी हुई ढलानों पर ही मिलते है। इस खण्ड में देवदार के वन-सामान्यतः ऊंचाई पर मिलते है तथा इस क्षेत्र में चील, ओक के वन कम ऊंचाई के क्षेत्रों में मिलते है। कम उंचाई के क्षेत्र बांस तथा अन्य झाडियों से ढकें हैं।

मुख्य तत्व — यह खण्ड़ गहरी घाटियों तथा उंचे क्षेत्रों में फैला है। पथ पर पडने वाले पर्वत श्रेणीयों की उंचाई 1200 से 1500 मी0 के श्रेणी में पडती है। प्रसारण लाइन को ऊँचे क्षेत्रों पर बढाना प्रस्तावित है। मनुष्य बस्तियों के पास तथा कम ऊँचे क्षेत्रों में वेदिग-सिचाई क्षेत्र विस्तार के कई क्षेत्रों में पाए जाते है। इस विस्तार में पंड़ोह पर एक बांध व्यास पर जल को बांध कर एक बहुत लम्बी सुरंग में से लाकर इसे भाखड़ा बांध में पानी पहुंचाने के लिए ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना से सतलुज नदी में मिलाया गया है। इसके अलावा, पराशर झील जो 2700 मी0 की उंचाई पर स्थित है जिसका ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व है। विद्युत प्रसारण लाइन बांधली सेंचुरी के निकट है।

तलिका 5.13 **खण्ड ग का पर्यावरणीय विवरण**

मापदण्ड	**विवरण**

जलवायु यह खण्ड बिलासपुर जिले में आता है तथा इसका जलवायु उप उष्णकटिबन्धीय है। गर्मियां स्थिर-रूप से गर्म होती हैं (कुछ इलाकों में 42° सेल्सियस तक होता है तथा मानसून के पश्चात् 30° सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तीन महिनों के लिए, सर्दियों में सतलुज में गहरा कोहरा हो जाता है। पहाड़ी घाटियां गर्मियों में काफी शुष्क तथा गर्म होती है। वर्षा के महिनों में उमस बढ़ती है तथा मौसम गर्म तथा उमसदार हो जाता है

भूविज्ञान खण्ड का यह क्षेत्र तुलनात्मक रूप मे तृतीयक तथा चतुर्थक चट्टानों के स्तर का है। यद्यपि, शुरूआत में पुरानी चट्टाने पहले के समय से पाई जाती हैं। पुरानी बनावटों का तृतीयकों के साथ गहरा सम्बध है।

वन इस खण्ड में आने वाले वन मुख्यतः तीन प्रकार के हैं(1) चील के वन (2) झाड़ियों के वन तथा (3) बांस के वन। ऊँचाई के क्षेत्रों पर 600 मी0 से 1500 मी0 के बीच चील के वन मिलते है। ये वन तृतीयक वन बालू चट्टानों पर पैदा होते हैं जबकि झाडियों के वनों में शीशम तथा टून जैसे अतिमहत्वपूर्ण बढ़िया प्रजातियों के हैं। ये कम उंचाई पर मिलते है, सामान्यतः सिंचाई भूमि के निकट तथा इनमें से अधिकतर सतलुज नदी के किनारे पर मिलते है। बांस के जंगल 400से 900 मी0 की ऊंचाई के श्रेणियों में मिलते है

महत्वपूर्ण तत्व इस खण्ड में उत्तरी विद्युत ग्रिड के देहर पावर हाऊस का कार्य शुरू किया गया है। इसके अलावा गांव बरमाना में विद्युतीय सब-स्टेशन स्थित है जहां एक सीमेंट संयंत्र भी है।

तालिका 5.14 खण्ड घ का पर्यावरणीय विवरण

मापदण्ड	विवरण
जलवायु	यह खण्ड सोलन जिले के अन्तगर्त आता है जहां उंचाई पर नमी वाला तापमान तथा उप-उष्णकटिबन्धीय तापमान कम उंचाई वाले क्षेत्रों में आता है। ऊंचाई में 500 से 800 मी0 की विशिष्ट विभिन्नता होने के कारण तापमान पर्याप्त विभिन्नता है गर्मियां काफी शुष्क होती है।
भूविज्ञान	खण्ड का यह क्षेत्र ब्लाइनी समुह की चट्टानों से मिलकर तथा पहले हमानी अपघर्षण से बना है।
वन	उंचाई में भिन्नता के कारण, गहराई तथा भूमि में नमी की उपलब्धता में भिन्नता है। इस क्षेत्र में मिली-जुली झाडियां मिली-जुली डेसीडयूस(बांस) तथा चील पपाइन प्रकार के वन मिलते है। सभी प्रजातियों का मुख्य उत्पादन सामान्यतः जैवीय रूकावटों के कारण कम है। मिली-जुली वन के मुख्य प्रजातियों (झाडियों) में छाल, छानगम, शिमला, खैर, टून, कचनार, अमलतास आदि मिलते है। करोंदा, हारसिंगार, बसुती ,महेन्दु भी आते है जो मिजी-जुली डेसीडयूसा वन (झाडी) 1000 मी0 की उंचाई पर मिलते है।
महत्वपूर्ण तत्व	घाटी क्षेत्र को छोडकर, अधिकतर क्षेत्र या तो झाडी वनों में या घासवाली भूमि में आता है जहां 1500 मी0 की ऊंचाई मे चील के पेड़ होते है। स्वरघाट चण्डीगढ से हिमाचल प्रदेश का प्रवेशद्वार है।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि विद्युत प्रसारण लाइन के पथ का विवरण का अभी निर्णय किया जाना है तथा भूमि पर रेखांकित किया जाना है। जैसे ही यह तय होगा वैसे ही विद्युत प्रसारण लाइन पथ का माइक्रो स्तर पर सर्वेक्षण शुरू करना आवश्यक होगा।

6. समाजिक आर्थिक सर्वेक्षण

6.1 परिचय

यह अनुभाग राजस्थान स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लिमिटेड के ई.आर.एम. इंडिया द्धारा ऐलाइन दुहंगन जल-विद्युत परियोजना, जिला कूल्लू, हिमाचल प्रदेश पर पड़ने वाले पर्यावरणीय एंव सामाजिक प्रभावों का मूल्याकंन करने के लिए तैयार किया गया है। यह अनुभाग प्रस्तावित परियोजना के समाजिक प्रभावों के मूल्याकंन (एस.आई.ए) के विवरणों को प्रस्तुत करता है।

6.2 दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली

यद्यपि कार्य-क्षेत्र में इस बात पर बल दिया गया था कि एस.आई.ए के अन्तर्गत प्रीनि, जगतसुख और हमटा शामिल किए जाएंगे लेकिन वास्तव में सर्वेक्षण प्रीनि जगतसुख और एलेऊ गांवो में किया गया जिसके निम्नलिखित कारण थेः

सर्वेक्षण के समय, परियोजना के प्रस्तावक हमटा से होकर गुजरने वाले रास्ते के सही संरेखण के संबंध में निर्णय नहीं ले सके, अतः परियोजना-प्रभावित लोगों की संख्या मे ओर हानि की मात्रा के संबंध में अस्पष्टता थी। परियोजना-प्रस्तावकों ने केवल प्रीनि जगतसुख और एलेऊ के परियोजना प्रभावित परिवारों की सूची उपलब्ध कराई थी। एलेऊ से सड़क बनाने के लिए भूमि का अर्जन किए जाने का प्रस्ताव था तथा प्रीनि और जगतसुख से सड़क के निर्माण और परियोजना स्टॉफ के लिए आवासीय कॉलोनी के लिए भूमि का अर्जन किए जाने का प्रस्ताव था।

लेकिन, क्षेत्र-सर्वेक्षण के दौरान समाजिक विशेषज्ञों ने हमटा का दौरा किया और एक परिवार से पूछताछ की लेकिन हानि भूमि/पेड़ की मात्रा की स्पष्ट जानकारी न होने के कारण निर्धारण पूरा नहीं हो सका। उसी दौरे के दौरान यह देखने में आया कि लगभग सभी पुरूष और कुछ परिवार कार्य की तलाश में अस्थाई रूप से अन्य गावों में प्रवास कर गए हैं। पहाड़ों में मौसमी प्रवास करना तो एक आम बात है क्योंकि उनके खेत बर्फ से ढक जाने के कारण सर्दी के मौसम में लोग आमतौर पर निचले क्षेत्रों में चले जाते हैं। इस प्रकार के लोगों के पास आमतौर पर दूसरे गांव में अपने घर और जमीन है। हमटा के अनेक निवासी प्रीनि में चले गए थे, इसलिए उनमें से कुछ लोगों के प्रीनि परिवार सर्वेक्षण में और ग्रामीण स्तरीय परामर्श मे शामिल किया जा सकता था।

एस आई ए फरवरी अप्रैल 2003 की अवधि में एकत्र की गई प्रमुख स्रोतों की सूचना के साथ-साथ सहायक स्रातों की सूचनाओं पर आधारित था।

प्राइमरी सूचना प्रभावित गावों के दौरे करके प्राप्त की गई थी जिसमें ग्राम पंचायतों के साथ बैठकें, परिवार सर्वेक्षण, ग्रामवासियों से परामर्श तथा महिलाओं और बी पी एल लोगों से केन्द्रित समूह चर्चाएं की गई। क्षेत्रीय सर्वेक्षण में अलग-अलग गांवो विभिन्न परियोजना घटकों के लिए (कॉलोनी, सड़क) प्रस्तावित स्थलों के दौरे भी शामिल थे ताकि अर्जन की जाने वाली भूमि के वर्तमान प्रयोग तथा कृषि-उत्पाद और सेब के पेड़ों के रूप में हानि के स्वरूप का पता लगाया जा सके। प्रत्येक गांव से पूर्वनिधारित कुछेक सूचनाएं एकत्र की गई थी।

ग्राम पंचायत(जी0पी0) स्तर पर निम्नलिखित को शामिल किया गया :

- राजस्व गांवों का फैलाव ग्राम पंचायत में सदस्य गांव प्रमुख गांव पंचायत से भौगोलिक दूरी, गांव पंचायत तथा अन्य राजस्व गांवों और सदस्य गांवों में, गांव पंचायतों के निर्णय लेने की प्रकिया में सहभागिता के रूप में सहयोग संबंध, पिछले 2-3 वर्षो में गांव पंचायत द्वारा किए गए कार्य का प्रकार तथा इन कार्यकलापों का स्थान (मुख्य गांव में या सदस्य गांवों में भी)।

- जनसांख्यिकीय रूपरेखा
- जनजातीय समूह-प्रवास ढांचा, आर्थिक कार्याकलाप/एकीकरण/सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा
- औसत जोत और परिसम्पति स्वामित्व, आय स्तर, व्यवसाय
- भूमि स्वामित्व और रजिस्ट्रेशन
- सम्पत्ति/ प्राकृतिक संसाधनों पर औपचारिक तथा अनौपचारिक अधिकार
- सुलभता और सम्बन्ध
- ग्राम पंचायत स्रोत आबटन
- मुख्य विकासात्मक मुद्दे
- प्रस्तावित परियोजना पर मत-सम्भव सकारात्मक और नकरात्मक प्रभाव

ग्रामीण स्तर

निम्नलिखित सूचना प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों के साथ परामर्श तथा केन्द्रित समूह चर्चाओं की रूपरेखा तैयार की गई।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

- कृषि/वनरोपण तथा किसी अन्य कार्याकलाप जैसे मछली पालन से आय/ जीविका की हानि
- ईंधन की लकड़ी मिलना
- सामाजिक बनावट/संरचना/महत्व में परिवर्तन
- नौकरी की सम्भावनाएं
- क्षेत्र का विकास (अवसंरचना)
- सामाजिक और आर्थिक अवसर
- एक क्षेत्र में अतिरिक्त लोगों के आ जाने से स्थानीय संसाधनों पर दबाव
- पक्की सड़क तक पहुंच का प्रभाव
- बाह्य समुदाय के साथ बढ़-चढ़ कर परस्पर संव्यवहार पर प्रभाव

- परियोजना के माध्यम से अवसंरचनात्मक विकास के लिए अवसर
- सामुदायिक विकास के अवसर
- क्षेत्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए अवसर

सार्वजनिक स्वास्थ्य

- सामान्य रोग
- स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच
- किसी महामारी का फैलना

धार्मिक/पुरातात्विक

- परियोजना के आस पास धार्मिक स्थल
- पुरातात्विक स्थल
- पहुंच/प्रभाव

लिंग

- समुदाय में महिलाओं की भूमिका
- समुदाय में महिलाओं की स्थिति
- परिवार में ही श्रम-विभाजन
- महिला पर परियोजना का सम्भावित प्रभाव
- क्षेत्र के विकास के संबंध में उनके विचार, मत तथा उनकी प्राथमिकताएं

परिवार स्तर पर निम्नलिखित सूचना प्राप्त की जानी थी

सामाजिक वर्गीकरण, वैयक्तिक स्तर पर परिवार के ब्योरे - शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय तथा आय सुमेधता वर्गीकरण-कृषि, बागबानी, दुकान, नौकरी, श्रम या किसी अन्य व्यवसाय से आय के ब्योरे तथा परिवार का व्यवसाय, परियोजना का प्रभाव-भूमि, संरचना, परिसम्पत्तियों, आय आदि की हानि-

सांझी खेती या पट्टा दारी व्यवस्था- गांव का रिकार्ड/पहचान संख्या (खसरा संख्या): तथा सामान्य सम्पत्ति संसाधनों-भूमि, शमशान, कब्रिस्तान, स्कूल आदि की हानि।

गौण सूचना

गौण सूचना के सहायक स्रोतों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रलेख शामिल थे जैसे जिला जनगणना पुस्तिका, सांख्यिकी सार, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और संगत कानून/अधिनियम और नीतियां। कोल बांध परियोजना के निकाले गए लोगों के

पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के लिए एन टी पी सी की स्कीम को भी देखा गया क्योंकि उसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था इसलिए वह अन्य एजेन्सियों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आधार थी। अप्रकाशित सामग्री में पटवारी के कार्यालय के रिकार्ड तथा जिला कलक्टर कार्यालय के भूमि-प्रयोग संबंधी रिकार्ड शामिल थे। क्षेत्र दौरों में एस डी एम तथा बी डी ओ के कार्यालयों के दौरे शामिल थे ताकि उस क्षेत्र के लिए क्षेत्र के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयासों के लिए बनाई गई योजनाओं का पता लग सके तथा पटवारी के कार्यालय से भूमि अन्तर भूमि अर्जन की प्रक्रिया तथा भूमि की कीमतों की गणना करने की प्रक्रिया की जानकारी मिल सके। राज्य की राजधानी शिमला के दौरे में बागवानी विभाग के साथ बैठकें किया जाना शामिल था ताकि सेब के पेड़ों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया, तहसील/जिले से बाहर फसल पद्धति तथा अधिकतम/न्यूनतम पैदावार आदि की जानकारी मिल सके। जनजातीय विकास विभाग के साथ बैठकों का प्रयोजन परियोजना क्षेत्र में अनु-जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों का पता लगाना था।

6.2.2 नमूना तरीका

नमूना सर्वेक्षण के लिए 62 परिवार लिए गए थे। यह परियोजना-प्रभावित कुल परिवारें का 25 प्रतिशत भााग था। नमूने के लिए चयन पद्धति का विवरण नीचे दिया गया हैः

यद्यपि आरम्भ में परियोजना-प्रभावित परिवारों का जनसंख्या सर्वेक्षण किए जाने की योजना बनाई गई थी लेकिन मध्यावधि में परियोजना-प्रभावित परिवारों की सूची में संशोधन (वृद्धि) किए जाने के कारण नमूना सर्वेक्षण किए जाने का निर्णय लिया गया। 25 प्रतिशत परिवारों को एक नमूने को पर्याप्त प्रतिनिधित्व समझा गया। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा दी गई 16 परिवारों की एक सूची के आधार पर एक अनुमानित मूल समय संबंधी रूपरेखा तैयार की गई। लेकिन, संबंधित गांवों से आरम्भिक बातचीत से पता चला कि परियोजना-प्रभावित परिवारों की संख्या उससे कहीं अधिक थी। अतः परियोजना प्रस्तावकों ने नए सिरे से गणना की और तीन गांवों में 263 परिवारों के लिए 65 जामाबन्दीस[1] की एक नई सूची दी। 25 प्रतिशत नमूने (अर्थात 66 परिवार) ही आरम्भिक सूची से लगभग चार गुणा बड़े थे और अतिरिक्त कार्य को करने के लिए वास्तविक समय संबंधी रूपरेखा में परिवर्तन किया जाना आवश्यक था। नमूने परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में से यादृच्छिक पद्धति से निम्नलिखित सुनिश्चित करते हुए लिए जाने थेः

- नमूने तीन गांवों में आनुपातिक दृष्टि से बांटे गए थे
- विभिन्न परियोजना घटकों (कॉलोनी, सड़क) से प्रभाव का पर्याप्त अध्ययन किया गया है
- सभी समाजिक-आर्थिक श्रेणियों का प्रतिनिधित्व किया गया है।

सर्वेक्षण के दौरान यह पता चला कि गलत तथा/अथवा पुराने भूमि-रिकार्डो के कारण सूची में अनेक भिन्नताएं थी। उदाहरण के लिए सूची में दिखाए गए अनेक व्यक्ति

जीवित नहीं थे तथा कुछेक लोगों ने अपने भूमि के अंश रिश्तेदारों को सौंप दिए थे। उदाहरणतः हालांकि भूमि पर बच्चों का समान अधिकार होता है, लड़कियों को अपने अधिकार लड़कों के लिए छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन इस प्रकार के नामांतरण (म्यूटेशन) भूमि-रिकार्डो म्युटेशन में औपचारिक रूप से दर्ज नहीं थे। अधिकांश मामलों में परिवार के सदस्य अनौपचारिक रूप से आपस में जमीन का बंटवारा कर लेते हैं इसलिए, यद्यपि उनके नाम विभिन्न खसरों में होते है : वे भूमि को केवल कुछ भागों पर ही खेती कर रहे होते हैं, इस प्रकार यह निर्णय लिया जा सकता है कि वास्वतिक सूची 263 परिवारों से कम की थी। उदारण के तौर पर एलेऊ गांव में सूची में 40 परिवार थे। सर्वेक्षण के दौरान 24 परिवारों से सम्पर्क किया गया। यह पाया गया कि केवल 13 ही प्रभावित होने वाले थे। शेष11 व्यक्तियों में से 6 की मृत्यु हो चुकी थी। एक ने जमीन बेच दी थी, 4 ने अपना अंश परिवार वालों को दे दिया था। इसी प्रकार से सरकारी रिकार्ड से लगभग 46 प्रतिशत की कमी हो गई थी। जगतसुख मे 49 परिवारों से सम्पर्क किया गया और केवल 25 परिवारों को वास्तव में प्रभावित होने वाला पाया गया। इस प्रकार 49 प्रतिशत की कमी हुई दोनों गांवों में एक जैसी भिन्नताओं के आधार पर यह माना जा सकता था कि परियोजना-प्रभावित परिवारों की कुल संख्या में लगभग 130 तथा 140 तक की कमी हो सकती है। लेकिन 62 परिवारों (अलग-अलग गावों के बीच आनुपातिक विभाजन) का फिर भी अध्ययन किया गया ताकि कम से कम प्रत्येक गांव के 25 प्रतिशत नमूने लिए जा सकें।

6.2.3 कार्य प्रणाली की सीमाएं

कार्य प्रणाली की सीमाओं के संबंध में दो पहलू हैः

- हमटा गांव को अन्तिम डिजाइन में अस्पष्टता के कारण (ऊपर स्पष्ट किया गया है) सर्वेक्षण से बाहर करना तथा
- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की कुल सं0 की व्यापक और सही सूची का न होना। जैसा कि पहले बताया गया है कि पटवारी के पास अध्ययन तथा सही भूमि-रिकार्ड न होने के कारण तथा वास्तविक रिकार्डो से विषम भूमि के अंशों के अनौपचारिक बंटवारे के कारण यह स्थिति थी। तथापि यह मानते हुए कि परियोजना प्रभावित परिवारों की कुल संख्या 263 से कम थी, 62 परिवारों का नमूना 25 प्रतिशत, से कॉफी अधिक होगा।

---

1. भूमि के अंशों का एक सैट जिसकी एक या अधिक (अलग) खसरा सं0 हो सकती है लेकिन जिसके सामान्य अंशधारक हों। अंश विभिन्न अनुपातों में हो सकते हैं।

6.3 परियोजना क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा

6.3.1 कुल्लू जिला-एक झलक

परिचय

इस खण्ड में कुल्लू जिले की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जो इस राज्य के अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक परियोजनागत क्षेत्र है। इस जिले की भौतिक विशेषताओं, जनसांख्यिकी, विकासात्मक संसूचकों की इस राज्य के शेष जिलों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण देते हुए प्रस्तुत किया गया है।

स्थान तथा प्रशासनिक विभाजन

हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब को अलग-अलग राज्य बनाया गया और 30 जुलाई 1963 को कुल्लू की अलग जिला बनाया गया। इससे पहले यह कागड़ा जिले की एक तहसील के रूप में था।

कुल्लू इस राज्य के केन्द्र में स्थित है जिसकी कम धनी है। इसके उत्तर में लाहौल तथा पूर्व में स्फीती, दक्षिण पूर्व में किन्नौर दक्षिण में शिमला दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में मंडी तथा उत्तर पश्चिम में कांगड़ा जिले हैं। कुल्लू से मंडी तक का पूरा क्षेत्र, ब्यास नदी की घाटी का है जिसमें जगह-जगह सेब के बाग और खेतों के साथ ही हल्की ढलान वाले क्षेत्र हैं और उनके सामने काले हरे-भरे पहाड़ों की श्रृखला है।

कुल्लू जिले के 6 सामुदायिक विकास ब्लॉक कुल्लू मनाली,बंजर,नारमांड,सैंज तथा अनी है। निम्नलिखित तालिका इस जिले के प्रशासनिक विभागों तथा विभिन्न विभार्गो की जनसंख्या को दर्शाती हैः

तालिका 6.1: कुल्लू जिले की तहसील, उप तहसील तथा नगरों की जनंसख्या

राज्य	**प्रशासनिक विभागों की**	**जनसख्या**
कुल्लु	तहसील	1,77,920
नरमंड	तहसील	47,904
मनाली	तहसील	44,239
बंजर	तहसील	38,629
अनी	उपतहसील	50,495
सैन्ज	उपतहसील	20,678
कुल्लु	नगर	18,306
मनाली	नगर	6,265
भुन्तुर	नगर	4,260
बंजर	नगर	1,262
कुल्लू	जिला	379,865

स्त्रोत हिमाचल प्रदेश जनगणना,2001

तहसीलों में तथा वर्तमान नगरों में जिला कुल्लू (नगर एवं तहसील) की सर्वाधिक जनसंख्या है। 1991 में केवल 5 सी डी ब्लॉक थे जिसके पश्चात 2001 में मनाली को एक तहसील का रूप दिया गया।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं

धर्म

इसकी जनसंख्या में सर्वाधिक हिन्दू, फिर बौध, सिख और इसाई है। यद्यपि इस संबंध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र के निवासियों में राजपूत ब्राहम्ण तथा अनुसूचित जातियों के लोग हैं।

खान-पान

यहां के लोगों का मुख्य भोजन चावल, गेहूं मक्का जौ और बाजरा है लेकिन परिवर्तन तथा जीवन स्तर की दृष्टि से विकास की अवस्था के कारण जौ की खपत का स्थान गेहूं, मक्का और चावल ने लिया है।

भाषा

कुल्लू के लोगों द्वारा कुल्बी भाषा बोली जाती है। यह भाषा पश्चिमी पहाड़ी कही जाने वाली अनेक भाषाओं में से एक है। कुल्लू भाषा-समूह इंडो-यूरोपियन भाषा समूह में आता है।

अर्थव्यवस्था

कुल्लू जिले की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषिप्रधान है। जनसंख्या का ४० प्रतिशत से अधिक भाग कृषि संबंधी कार्य करता है।

कृषि

कुल्लू जिले की उंचाई माध्य समुद्र तल से 914-4,084 मीटर तथा इससे अधिक है जो कृषि उपयुक्त जलवायु की स्थितियों से युक्त है। इसकी मिट्टी रेतीली तथा चिकनी है। यहां नकदी फसल, गैर-मौसमी वनस्पतियां, आलू दालें और शीतोष्ण फलों के अलावा अनाज, बाजरा तथा तिलहन होते है।

खेत छोटे-छोटै है जहां खेतीबाड़ी अभी भी पुराने तरीकों से की जाती है। सिंचाई के स्त्रोत खुल्स लिफ्ट और टैंक हैं जिनमें वर्षा जल को संचित किया जाता है। जिला जनगणना, पुस्तिका, कुल्लू 1991 के अनुसार जिले में कुल सिंचाई क्षेत्र 39112 एकड़ है।

बागवानी

बागवानी के विकास का इस जिले की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। यहां की कृषि-उपयुक्त जलवायु शीतोष्ण और उपोष्णीय फलों विशेषतः सेब, आडू खुमानी चेस्टनट, अखरोट, जापानी फल, चेरी, गूज़बेरी तथा जैतून की पैदावार के लिए उपयुक्त

है। यहां मधुमक्खी पालन आय का अन्य स्रोत है। पिछले कुछ दशकों में कृषि उपज के स्थान पर फल-पैदावार की प्रवृति बढ़ी है।

पशुपालन

इस जिले की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में पशुधन आय का महत्वपूर्ण स्रोत एवं उनकी सम्पत्ति है। आय प्रदान करने के आलावा, पशुधन जीविका साधन भी है। अधिकांश परिवारों में गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, सूअर और खच्चर आदि अवश्य पाले जाते है।

मत्यसकीय

कुल्लू जिले में अधिकतर लोगों के घरों के आस-पास नदियां, झरने और नाले हैं। इनमें खनिज युक्त जल होता है जो मछलीपालन के लिए बहुत उपयुक्त होता है।

वन

वनों का कुल्लू जिले की अर्थव्यवस्था में विशेष स्थान है तथा वन प्रभाग, इनका नियन्त्रण करता है। वन इस जिले के भूमि प्रयोग के प्रमुख हिस्से के रूप में हैं। कुल्लू के वनों के क्षेत्र में कागड़ा और मंडी के आस-पास के वन भी आते है। हिमालयी ओक के घने वन काफी मात्रा में हुरला धाटी में है जो 2400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। यहां देवदार, कैल, चील, देवदार, अखरोट, होर्स चेस्टनट तथा ओक के अलावा छोटे पेड़ों जैसे हज़ल, होर्न बीम, यूब, बर्ड चेरी, बिर्च, मोरन, बन, विलोज, एश, बाल्ड सेब, जुनिपर और रोडोडेनड्रोन की भरमार है। औषधीय प्रयोजन के लिए, घूप मस्कवाला, मशरूम तथा काकरसिंगी के उत्पाद प्रयोग में लाए जाते हैं।

उद्योग

इस जिले की अवस्थिति के कारण यहां बड़े या मध्यम स्तरीय उद्योग नहीं हैं। लेकिन यह पारम्परिक सुन्दर हस्तकला की कुछेक वस्तुओं के लिए प्रसिद्व है जैसे रंगीन बुनी हुई टोपियां शालें आदि।

जनसांख्यिकी रूपरेखा

जनसंख्या और घनत्व

12 जिलों में से कुल्लू की अपेक्षाकृत जनसंख्या कम है जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 6.25 प्रतिशत है। कांगड़ा की जनसंख्या सभी जिलों में से अधिक है। जिसका धनत्व भी सर्वाधिक है। लाहौल और स्पीती का धन्तव सबसे कम (2) है।

कुल्लू की 1981–1991 के दशक की सर्वाधिक विकास–दर रही है लेकिन वह 1991–2001 के दशक में धीरे–धीरे 25.60 प्रतिशत हो गई। 1991–2001 में सोलन ने 30.64 प्रतिशत की सर्वाधिक विकास दर दशाई, सिरमौर तथा उना जिलों का नम्बर इसके बाद था।

ग्रामीण और शहरी जनसंख्या

ग्रामीण जनसंख्या की 1991–2001 के दौरान 16.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कुल्लू जिले की ग्रामीण जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि अर्थात 24.29प्रतिशत थी, जिसके बाद सोलन की 1991–2001 के दौरान ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि 21.86प्रतिशत थी। दूसरी ओर इस राज्य की शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक संख्या वृद्धि के लिए शिमला का नाम है जो 23.90 प्रतिशत है जिसकी पिछले दशक के दौरान विकास दर 39.12 प्रतिशत है। 1991–2001 के दौरान मनाली नगर की सर्वाधिक विकास दर 157.50 प्रतिशत रिकार्ड की गई। इसके बाद क्रम में रोहड़रू नगर पंचायत 96.26 तथा सोलन नगर 57.23प्रतिशत है।

तालिका 6.2 जिला–वार जनसंख्या और धनत्व

जिला	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या	राज्य का जनसंख्या का प्रतिशत	ग्रामीण	शहरी	विकास दर 1981–1991	विकास दर 1991–2001	धनत्व प्रतिवर्ग कि.मी. 1991	धनत्व प्रतिवर्ग कि.मी. 2001
बिलासपुर	1167	340735	5.60	5.8	3.7	19.41	15.35	253	292
चम्बा	6528	460499	7.58	7.8	5.8	26.40	17.09	60	71

हमीर पुर	1118	412009	6.78	7.0	5.1	16.17	11.62	330	369
कांगडा	5739	1338536	22.02	23.1	12.1	18.50	14.01	205	233
किन्नौर	6401	83950	1.38	1.5	0.0	19.69	17.79	11	13
कुल्लू	5503	379865	6.25	6.4	5.1	26.68	25.60	55	69
ए एण्ड एस	13835	33224	0.55	0.6	0.0	–2.51	6.17	2	2
मण्डी	3950	900987	14.83	15.3	10.2	20.40	16.05	197	228
शिमला	5131	721745	11.88	10.1	28.0	20.84	16.90	120	141
सिरमौर	2825	458351	7.54	7.5	8.0	23.72	20.72	134	162
सोलन	1936	499380	8.22	7.4	15.3	26.02	30.64	197	258
डना	1540	447967	7.37	7.5	6.6	19.17	18.43	246	291
हि0प्र0	55673	6077248	100	90.2	9.8			93	109

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश जनगणना 2001

लिंग अनुपात

कुल्लू का लिंग दर हमीरपुर, कांगड़ां जिलों की तुलना में, जिनका लिंग दर अनुकूल है, काफी कम है। किन्नौर, लाहौल एंव स्पीती, सोलन जैसे कुछ जिलों की 1981–91 से 1991–2001 तक के लिंग अनुपात में काफी कमी हुई है। कुछ क्षेत्रो में न्यून लिंग दर का बहुत बड़ा कारण पुरूष कामकारों का प्रवास हो सकता है।

साक्षरता

इस राज्य की 1981–91 से 1991–2001 तक समग्र साक्षरता में 14 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सिरमौर, चम्बा और कुल्लू जिलों में क्रमशः 19.23 प्रतिशत, 19.03 प्रतिशत तथा 18.54 प्रतिशत साक्षरता की सर्वाधिक विकास दर रही है। इसमें हमीरपुर की सर्वाधिक साक्षरता दर 83.16 प्रतिशत थी। क्रम में (1991–2001) इसके बाद ऊना में 81.09 प्रतिशत की विकास दर वाला क्षेत्र था।

तालिका 6.3 साक्षरता दर

जिला	साक्षरता दर 1981–1991	साक्षरता दर 1991–2001
बिलासपुर	67.17	78.80
चम्बा	44.70	63.73
हमीरपुर	74.88	83.16
कांगडा	70.57	80.68
किन्नौर	58.36	उ.नही
कुल्लू	54.82	73.36

एल एण्ड एस	56.82	73.17
मंडी	62.74	75.86
शिमला	64.61	79.68
सिरमौर	51.62	70.85
सोलन	63.30	77.16
ऊना	70.91	81.09
हि0 प्र0	**63.86**	**77.13**

स्त्रोत-हिमाचल प्रदेश जनगणना,2001

व्यवसायिक पैट्रन

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पूरे राज्य में गैर-कार्यशील जनसंख्या कुल कार्यशीलता जनसंख्या से अधिक है। बिलासपुर सिरमौर तथा उना की गैर-कार्यशील लोगों की प्रतिशतता अधिक है। लेकिन, इन जिलों में 1991 से 2001 तक गैर कार्यशील जनसंख्या में समग्र कमी हुई है।

तालिका 6.4 व्यावसायिक रूपरेखा

	कुल कामगार		मुख्य कामगार		सीमांत कामगार		गैर-कामगार	
जिला	**1991**	**2001**	**1991**	**2001**	**1991**	**2001**	**1991**	**2001**
बिलासपुर	44.60	48.95	31.03	32.52	13.57	16.43	55.40	51.05
चम्बा	48.58	50.04	32.55	27.88	16.03	22.16	51.42	49.96
हमीरपुर	41.87	49.90	29.87	29.34	12.00	20.56	58.13	50.10
कांगडा	34.37	44.04	27.55	25.20	6.82	18.84	65.63	55.96
किन्नौर	52.42	60.54	47.32	50.79	5.10	9.75	47.58	39.46
कुल्लू	47.93	57.05	42.44	43.96	5.49	13.19	52.07	42.95

एल एण्ड एस	64.93	63.50	54.18	57.88	10.75	5.62	35.07	36.50
मंडी	45.72	50.44	37.46	29.89	8.26	20.55	54.28	49.56
शिमला	48.62	51.19	43.08	42.19	5.54	9.00	51.38	48.81
सिरमौर	46.59	49.30	40.11	38.38	6.48	10.92	53.41	50.70
सोलन	45.05	52.70	34.98	34.57	10.07	18.13	54.95	47.30
ऊना	33.45	45.03	27.45	26.60	6.00	18.43	66.55	54.97
हि0प्र0	42.83	49.28	34.41	32.36	8.42	16.92	57.17	50.72

स्त्रोत : हिमाचल प्रदेश जनगणना 2001

कुल्लू की 2001 में गैर-कार्यशील जनसंख्या की तुलना में कार्यशील जनसंख्या अधिक थी जोकि 1991 में यह स्थिति इसके विपरीत थी।

मुख्य कामगारों की विकास 2.05% की गिरावट देखी गई है लेकिन सीमान्त कामगारों की विकास दर में 1991 से 2001 तक 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बिलास पुर, किन्नौर कुल्लू तथा लाहोल एवं स्फीती जिलों में मुख्य कामगारों की विकास दर में वृद्धि हुई।

शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कामगारों के रूप में औसतन अधिक लोग कार्य करते हैं। लगभग 36प्रतिशत लोग मुख्य कामगारों की श्रेणी में कार्यरत हैं।

कृषि

इस राज्य में कृषि प्रमुख व्यवसाय है। कार्यशील जनसंख्या में 40प्रतिशत से अधिक लोग मुख्य कामगारों की श्रेणी में आते हैं। अधिकांश भूमि खेती के काम में प्रयोग की जाती है।

तालिका 6.5 कृषि क्षेत्र का जिला-तार वर्गीकरण (000 हैक्टेयर में)

	बंजर भुमि					
जिला	उस समय की बंजर भुमि	अन्य बंजर भुमि	कुल	नवल खेती बोई गई भमि (हैं0 में)	कुल फसल वाला क्षेत्र	एक बार से अधिक बोई गई भूमि
बिलासपुर	1.2	1.6	2.8	30.8	59.4	28.6
चमबा	2.0	.2	2.2	42.4	66.3	23.9
हमीरपुर	7.6	1.0	8.6	36.4	71.6	35.2
कांगडा	7.9	1.1	9.0	11	222.6	103.6

किन्नौर	1.6	.1	1.7	7.6	10.0	2.4
कुल्लू	2.6	.2	2.8	36.6	63.1	26.5
एल एण्ड एस	.2	–	.2	3.2	3.3	.1
मंडी	5.8	.3	6.1	91.1	163.6	72.5
शिमला	12.5	1.4	13.9	71.1	107.1	36
सोलन	4.5	0.9	5.4	42.2	78.4	36.2
ऊना	4.9	.8	5.7	39.4	65.6	26.2
एच पी	4.6	15.1	19.7	40.3	75.2	34.9

स्त्रोत : हिमाचल प्रदेश जनगणना 1999

एक बार से अधिक बोई गई भूमि की श्रेणी में कांगड़ा का सर्वाधिक क्षेत्र है। 60-225 हैक्टेयर फसल वाले क्षेत्र की श्रेणी में आने वाले जिलों की संख्या काफी अधिक हे। कांगड़ा, किन्नौर तथा लाहोल एवं स्फीती को छोड़ कर कुल क्षेत्र का 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र खेती में प्रयोग होता है।

प्रमुख फसलें

इस राज्य की महत्वपूर्ण धान्य फसलें चावल, गेहूं तथा मक्का है। राज्य सरकार गैर-मौसमी वनस्पतियों बीज, आलू, अदरक, दालों तथा तिलहन के उत्पादन पर जोर दे रही है। चावल, गेहूं तथा मक्का वाला अधिकांश क्षेत्र कांगड़ा और मंडी जिलों का है। इसके अलावाा, दोनों जिले धान्य फसलें, आलू, प्याज, टमाटर तथा मिर्च अदरक और खाद्य तिलहनों के उत्पादन क्षेत्र में भी अन्य जिलों की तुलना में अग्रणी हैं। कुल्लू जिले में जौ, चना, अन्य धान्य तथा दालों के सिवाय फसल वाला क्षेत्र औसत से कम है। मंडी और कांगड़ा सभी फसलों में अधिकतम उत्पादन दर्शाते हैं। खाद्यान्न इस राज्य का सर्वाधिक उत्पादन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2002 के अनुसार, 2001-02 के दौरान खाघान्न का उत्पादन 14.37 लाख मीटर टन के लगभग होने की आशा है। इस राज्य कों सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन चावल, गेहूं तथा मक्क्ा का होता है।

6.3.2 भूमि स्वामित्व का विवरण

राज्य में जोत का औसत क्षेत्र 1.16 हैक्टे है। जैस कि सारणी से स्पष्ट होता है सिरमौर सोलन, लाहोल स्फीती, उना, शिमला जैसे जिलों में जोत के आकार बड़े हैं जबकि कुल्लू के जोत के आकार सबसे छोटे हैं।

तालिका 6.6 जिला वार प्रचालनाधीन जोत-क्षेत्र

जिला	जोतधारियों की सख्ंया	क्षेत्र (हैं० में)	जोत का औसत आकार (है० में)
बिलासपुर	48,656	52,619.98	1.08

चम्बा	64,524	56,697.36	0.88
हमीरपुर	69,193	76,579.09	1.11
कांगडा	2,24,759	2,09,505.09	0.93
किन्नौर	9,693	14,310.84	1.48
कुल्लू	57,061	44,233.44	0.78
एल एण्ड एस	3,960	6,422.71	1.62
मंडी	1,36,710	1,29,689.20	0.95
शिमला	90,112	1,25,917.16	1.40
सिरमौर	45,048	1,02,510.28	2.28
सोलन	49,854	91,379.82	1.85
ऊना	64.137	89,034.71	1.39
हि0 प्र0	8,64,437	9,99,099,68	1.16

स्रोतः हिमाचल प्रदेश की सांख्यिकी रूप रेख, 1999

पूरे राज्य में जोत का वितरण दर्शाता है कि 84.5 प्रतिशत भूमि छोटे और सीमान्त किसानों के पास है।

सिंचाई

हिमाचल प्रदेश में कृषि प्रमुखतः वर्षा पर निर्भर है। राज्य के चार प्रमुख सिंचाई के साधन नहरे, टैंक, कुंए और ट्यूब वैल हैं। 1991-1998 के दौरान राज्य में विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्र के ब्योरे नीचे तालिका में दिए गए है।

नीचे दी गई तालिका में 1992 से 1998 के दौरान सभी चार स्रोतों के अधीन कुल सिंचित क्षेत्र में कमी का पता चलता है।

यद्यपि कुल सिंचित क्षेत्र में कमी हुई है, सकल फसल वाले क्षेत्र में धीमी गति से वृद्धि हुई है।

तालिका 6.7 सिंचाई के विभिन्न स्रोतों के अन्तर्गत क्षेत्र (हैक्टेयर में)

कृषि वर्ष	नहर	टैंक	कुएं और टयुबवैल	अन्य स्त्रोत	कुल
1991-92	-	663	3,711	95,362	99,736
1992-93	9,076	798	5,5592	83,360	98,826
1993-94	-	122	5,120	94,404	99,646
1994-95	3,631	871	11,998	83,954	1,00,454
1995-96	3,393	397	13,082	87,918	1,04,790
1996-97	3,574	325	11,830	89,063	1,04,792

1997–98	3,398	255	11,820	87,144	1,02,617

स्रोतः हिमाचल प्रदेश की सांख्यिकी रूप रेखा 1999

टैंक के अन्तर्गत क्षेत्र में 1994–95 के दौरान वृद्धि हुई, लेकिन सिंचाई के इस स्रोत में आत्यधिक गिरावट आई है।

6.3.3 परियोजना गांवों की रूपरेखा

अधिकांश भूमि–अर्जन तीन गांवो, प्रीनि, जगतसुख तथा एलेऊ में किया जाएगा। यद्यपि भूमि का अर्जन प्रीनी तथा जगतसुख में आवासीय कालोकियॉ बनाए जाने के लिए किया जाना है लेकिन सड़क कर एक अंश एलेऊ एवं प्रीनि से गुजरने की सम्भावना है। इस खंड में तीनों गांवों का एक रूपरेखा, उनकी अवस्थिति, जनसांख्यिकी, सुविधाओं तक पहुंच आदि की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। इसमें लागू की जाने वाली विकासात्मक परियोजनाओं के प्रकार तथा उन विकासशील कार्यकलापों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें स्थानीय लोग अपने गांवों के विकास के लिए करने के इच्छुक होंगे।

यह तीनों गांव मनाली तहसील, जिला कुल्लू के अन्तर्गत आते हैं। जगतसुख तथा एलेऊ मुख्य मार्ग पर ही हैं जबकि प्रीनि मुख्य मार्ग से 0.5 कि. मी. दूर है। लेकिन प्रीनी छोटी कंकरीट सड़क से मुख्य मार्ग से जुड़ा है। प्रीनि को विशेष महत्व प्राप्त है क्योंकि यह उन गांवों में से एक है जिन्हें प्रधानमंत्री ने ग्रहण किया है।

सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा

तीनों गांवों में सामाजिक–आर्थिक स्थितियों की दृष्टि से काफी भिन्नता है। जनसंख्या में भी काफी अन्तर है एलेऊ में जनसंख्या 300 है जबकि जगतसुख में 2000 है। जगतसुख में अपेक्षाकृत अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक हैं।

तालिका 6.8 जनसांख्यिकी रूपरेखा

गांव	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	कुल	पु.	म.	कुल	पु.	म.	कुल	पु.	म.
एलेऊ	300			110			75		
प्रीनि	511	264	247	155	83	72	33	17	16
जगतसुख	1995	1035	960	326	173	153	180	95	85
कुल	**2806**			**591**			**288**		

स्त्रोत ग्राम पंचायतः पुःपुरूष मः महिलाएं

इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियां अधिकांशतः लाहौल स्पीती से आकर बस गई हैं। आरम्भ में यह प्रवास प्रतिवर्ष होता था जब सर्दी बहुत होती थी और यह लोग नीचे के क्षेत्रों में आते थे क्योंकि उस क्षेत्र में रहना दुभर हो जाता था। ऐसे लोगों में से कुछेक

के पास लाहोल स्पीती में परियोजना प्रभावित गांवों में अभी भी ज़मीनें है। परिवार का कोई एक सदस्य वहां जमीन की देखरेख के लिए रहता है और परिवार के शेष सदस्य वर्ष में एक बार लाहौल स्फीती आ जाते हैं। वे अधिकतर कृषि और पशुपालन के द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं। अधिकांश अनुसूचित जनजातियों के लोग बौद्व धर्म के अनुयायी हैं। उनकी अलग विशेष संस्कृति है और उनके अपने भिन्न त्यौहार एवं रीतिरिवाज है।

प्रत्येक गांव में अनुसूचित जाति के लोग भी रहते हैं। ये लोग भी गांव के अन्य लोगों की भांति कृषि पर निर्भर हैं तथा कृषि ही उनका प्रमुख व्यवसाय है। समाज में अभी भी अनुसुचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है जोकि समय के साथ-साथ पहले से कम तो हुआ है। सरकार द्वारा लागू की गई विकासात्मक स्कीमों में उन्हें अधिक महत्व दिया जाता है।

साक्षरता दर

इन तीनों गांवों में पिछले दो दशकों के दौरान साक्षरता दर में वृद्वि हुई है। यद्यपि इन गांवों के बड़ी आयु के लोग या तो अनपढ़ हैं अथवा पांचवी कक्षा तक पढ़े हैं जबकि युवा जनसंख्या में अधिकांश कम से कम आठवीं कक्षा तक पढ़े हैं। इन गांवों में कम से कम प्राइमरी स्कूलों का अवश्य होना यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है।

परियोजना गांवों में साक्षरता स्तरों की भिन्नता 50-80प्रतिशत है। जी पी सदस्यों के अनुसार प्रीनी में 60 प्रतिशत तथा जगतसुख में 80 प्रतिशत साक्षरता दर थी। इन दोनों गांवों में साक्षरता दर तुलना की दृष्टि से पुरूषों की अधिक सूचित की गई थी।

व्यावसायिक पैट्रन

इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बहुत कम रहे हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ है तथा सरकारी नौकरियां तो बहुत ही कम हैं। इन क्षेत्रों में अच्छे तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान न होने के कारण स्थानीय लोगों के लिए आसपास के क्षेत्रों में नौकरी के लिए आवेदन करने लायक पर्याप्त कौशल ग्रहण करना भी सम्भव नहीं हो सका है इस क्षेत्र में पर्यटन उद्योग भी पूरा वर्ष काम नहीं जुटा पाता। अतः कृषि ही गांवों में प्रमुख व्यवसाय है। इसके पश्चात् पशुपालन का स्थान है कयोंकि लोग दूध तथा घी आदि अन्य डेरी उत्पादों का विक्रय करते हैं। बिक्री जिनका सरकारी नौकरी करने वाले लोग बहुत कम हैं। प्राइवेट नौकरियां लगभग स्थानीय होटलों/रेस्ट्रॉ आदि मे हैं तथा कुछेक ड्राइवर के रूप में कार्य करते हैं। एलेऊ में काफी लोगों ने जमीन को किराए पर दिया है जिसका व्यावसायिक कार्यो में प्रयोग होता है। ऐसे कई स्थान अधिकांशतः पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कुछ लोग अपनी वैन/जीप/कार आदि भी पर्यटन गाड़ियों के रूप में चलाते हैं।

तालिका 6.9 व्यावसायिक पैट्रन

गांव	कृषि	पशुपालन	प्राइवेट सरकारी नौकर	श्रम	कोई अन्य
एलेऊ	100 प्रतिशत	80 प्रतिशत	5 प्रतिशत	30 प्रतिशत	30 प्रतिशत (होटलों, वैनमालिकों, व्यवसाय आदि के लिए किराए पर भूमि)
प्रीनि	90 प्रतिशत	30प्रतिशत	10प्रतिशत	10 प्रतिशत	+ 5प्रतिशत (अपना व्यवसाय)
जगतसुख	80 प्रतिशत	75 प्रतिशत	5 प्रतिशत	25 प्रतिशत	5 प्रतिशत (अपना व्यवसाय)

जी पी सदस्यों द्वारा दी गई सूचना तथा सांकेतिक अनुमान है।

अनुसुचित जाति (अ.ज.) तथा अनुसूचित जनजातियों को भारतीय सविधान द्वारा (अनुच्छेद 341 एवं 342 में क्रमश((ऐसे ग्रुपों के रूप में जो सीमान्तक/सवेंदन ाील है। तथा उनके सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढावा देने एवं सूरक्षित रखने के उददे य के साथ ऐसे ग्रुपों के लिए वि ोष प्रावधान किए गए हैं।

आवासीय प्रणाली

तीनों गावों के साथ ग्राम पंचायत में अन्य गांव हैं। प्रीनि तथा जगतसुख के गांव में पंचायत मुख्यालय है लेकिन एलेऊ वशिष्ट ग्राम पंचायत का एक भाग है। प्रीनि ग्राम पंचायत में शुरू, गदरई, चालेट, साईथांन तथा हामटा अन्य गांव हैं। इसी प्रकार जगतसुख ग्राम पंचायत में बानराचनाला, भानू तथा शामिनाला गांव है।

जगतसुख इस जिले में सबसे पुराने आवासीय स्थानों में से एक है तथा इसे कुल्लू राज्य की राजधानी कहा जाता है। कुछ वर्ष पहले तक इस गांव की ग्राम पंचायत में गांवों की संख्या सबसे अधिक थी। यह प्राचीन मन्दिरों के लिए प्रसिद्व है।

यह तीनों गांवो मनाली के नजदीक हैं तथा मनाली प्रसिद्व पर्यटन स्थल है अतः इन गांवों में भी पर्यटक आते हैं। पर्वतोराही मार्ग से प्रीनि सटा हुआ भी है इस कारण से

भी पर्यटक आते हैं। जगतसुख तथा प्रीनि दोनों पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित हो सकते हैं तथा पर्यटकों की संख्या में काफी अधिक वृद्वि हो सकती है

जगतसुख और प्रीनि दोनों की जनसंख्या बिखरी हुई है तथा जगतसुख में अलग-अलग समूह भी हैं। एलेऊ का मुख्य खेड़ा बिल्कूल केन्द्र में स्थित है जहां अधिकांश मकानएक दूसरे से सटे हुए हैं। शेष मकान पूरी पहाड़ी पर फैले हुए है।

सामाजिक ढांचा

सामाजिक ढांचा की दृष्टि से जगतसुख सबसे विकसित गांव है। प्रीनी में मूल सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा एलेऊ अब मनाली नगर का एक हिस्सा ही है।

निम्नलिखित तालिका में तीन गांवों में विभिन्न सुविधाओं की सुलभता संबंधी ब्योरे दिए गए है।

तालिका 6.10 सुविधाओं की पहुंच

गांव	प्राइमरी स्कूल	हाई स्कूल	कॉलेज	पी एच सी	अस्पताल	डाक घर	बैंक
एलेऊ	गांव	मनाली, 1. 5 किमी	कुल्लू ,30 किमी	मनाली, 1. 5 किमी	मनाली, 1. 5 किमी	मनाली ,1. 5 किमी	मनाली ,1. 5 किमी
प्रीनि	गांव	गांव	कुल्लू, 30 किमी	जगतसुख, 3 किमी	मनाली, 4 किमी	गांव	मनाली, 4 किमी
जगतसुख	गांव	गांव	कुल्लू, 35 किमी	गांव	मनाली, 6 किमी	गांव	गांव

सभी गांवों में आंगनवाड़ी है जहां छोटे बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित प्लेस्कूल है। जगतसुख गांव मे अच्छी विकसित बाजार है। प्रीनी में थोड़ी सी दुकानें है जहां रोजमर्रा की आश्यकता की वस्तुएं जैसे किराने की वस्तुएं, मिठाई आदि मिलती हैं। एलेऊ में काफी दुकानें हैं जैसे चाय की दुकान, खाने-पीने की तैयार वस्तुओं आदि के स्थान। इनसे मनाली की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है।

सभी गांवों में टेलेग्राफ है और तीनों गांवों में अनेक परिवारों के अपने अलग टेलेफोन कनैक्शन भी हैं। कुछेक परिवार के लोगों के पास मोबाइल फोन भी हैं। यहां की बिजली आपूर्ति नियमित है और बर्फ पड़ने के दौरान यहां बिजली की समस्या होती है क्योंकि उस समय मरम्मत आदि में कठिनाई होती है।

पेय जल की पहुंच

किसी गांव से पानी की समस्या संबंधी कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्हें गांवों से निकालने वाली नदियों से साफ पेय जल सुलभ रूप से प्राप्त होता है। पाइप द्वारा पानी आपूर्ति की व्यवस्था है तथा प्रीनि और एलेऊ में पिछले 5-6 वर्षो में इस व्यवस्था में सुधार हुआ है।

एलेऊ में लगभग सभी परिवारों के पास प्राइवेट कनेक्शन हैं तथा जगतसुख में और प्रीनी में लगभग 60-70 परिवारों के पास व्यक्तिगत कनैक्शन हैं। स्टैण्डपोस्टों की संख्या प्रीनि में 5 तथा जगतसुख में 40 है। पानी 24 घंटे उपलब्ध रहता है।

सफाई व्यवस्था

जगतसुख ही एक ऐसा गांव है जिसमें नालियां कुछ भागों में बनी हुई हैं। सभी गांवों में ऐसे परिवार कम है जिनके निजी शौचालय हैं। जगतसुख में सरकारी स्कीम के अन्तर्गत कुछ शौचालय बनाए गए हैं लेकिन उनका बहुत कम प्रयोग होता है।

जन स्वास्थ्य

गांव के लोगों से सूचना प्राप्त हुई कि वहां रोग होने की घटनाएं बहुत कम होती है। बुखार और जुखाम तो सामान्य समस्या है। कुछेक पीलिया और मलेरिया के मामले हुए थे। हाल के वर्षो में कोई महामारी नहीं हुई हैं। लेकिन इन गांवों में कुछ विकलांग लोग है उनमें से कुछ को बचपन में पोलियों हुआ था। स्वास्थ्य अवसंरचना की दृष्टि से केवल जगतसुख गांव में अपना जन स्वास्थ्य केन्द्र है जबकि प्रीनि और एलेऊ के लोगों को जन स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचने तक 1.5 से 3 किमी तक दूर जाना पड़ता है । इन सभी गांवो के लिए सबसे नजदीकी अस्पताल मनाली में है।

भूमि के उपयोग का विवरण

जगतसुख और प्रीनि बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए गांव है जबकि एलेऊ के क्षेत्र के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं है। कुल्लू जिले में भी अभी तक वन-क्षेत्र की गणना नहीं की गई है।

प्रत्येक गांव का निजी भूमि तथा आबादी (आवासीय) वाली भूमि के अलावा गौचार (चरने का स्थान) और नदी की धाराओं के स्थान पर भी स्वामित्व है। अधिकांश गांव वनों से धिरे हैं, जिनका प्रयोग समुदाय द्वारा किया जाता है। प्रत्येक गांव की सुनिश्चित सीमा (बाउण्डरी) है तथा दूसरे गांव के लोगों को उस क्षेत्र में पशु चराने या ईधन के लिए लकड़ी प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। इन नियमों को तोड़ने पर ग्राम पंचायत दंड देती है। लेकिन यदि भूमि वन विभाग या अन्य सरकारी विभाग की है तो पंचायत हस्तक्षेप नहीं करती है (एक स्थानीय पटवारी द्वारा दी गई सूचना)।

इन गांवों में अधिकांश भूमि पर खेती की जाती है। निम्नलिखित तालिका में प्रीनि और जगतसुख की भूमि के उपयोग संबंधी स्थिति दी गई है।

तालिका 6.11 भूमि उपयोग पैट्रन

गांव	कुल क्षेत्र (हैक्ट में)	सिंचाई वाली	बिना सिंचाई के	कृषि योग्य अनुपयोगी भूमि(चरागाह एवं बाग)	खेंती के लिए उपलब्ध नहीं
प्रीनि	249	80	100	–	69
जगतसुख	259	168	89	–	2

स्त्रोतः जिला जनगणना पुस्तिका, 1991

निजी भूमि का स्वामित्व

भूमि पर स्थामित्व इस राज्य मं 1800 सदी के आस पास आरम्भ हुआ। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इससे राज्य में कृषि योग्य भूमि बहुत छोटे-छोटे प्लॉटों के रूप में है। लेकिन इन छोटे- प्लॉटों और छोटे अंशों में बंटवारे को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश जोत (समेकन और अंश विभाजन निषेद्य) अधिनियम, 1971 लागू किया है ताकि राज्य में कृषि जोत का समेकन किया जा सके और कृषि जोत के और छोटै अंशों मे विभाजन को रोका जा सके। इसके साथ-साथ गांवों के सामूहिक प्रयोजन के लिए भूमि का समनुदेशन एवं आरक्षण किया जा सके।

हिमाचल प्रदेश में, पुत्रों एव पुत्रियों दोनों को भूमि का उत्तराधिकार प्राप्त है, लेकिन अधिकांश मामलों में पुत्रियां अपने अधिकार की भूमि अपने भाइयों को सौंप देती हैं। राज्य में भूमि-रिकार्डो को पांच वर्ष के बाद अद्यतन किया जाता है। भू-स्वामी की मृत्यु होने पर (म्युटेशन) परिवर्तन विलेख 6 माह के अन्दर करना अपेक्षित है। इसी प्रकार विक्रय करने पर पंजीकरण प्रलेख पटवारी को देकर भूमि रिकार्डो को अद्यतन कराना होता है। 1990 के बाद के वर्षो में राज्य सरकार ने भूमि रिकार्डो के ''व्यवस्थापन'' के लिए एक अभियान चलाया था। प्रीनि में यह अभियान 1994 में शुरू किया गया तथा 2001 में यह प्रक्रिया समाप्त हुई।

ग्राम विकास परियोजनाएं

हिमाचल प्रदेश में गांवों के विकास के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की गई है। अनेक विभागों जैसे वन विभाग, जल-विभाजक विकास विभाग, कृषि विभाग आादि ने हाल ही में अपनी परियोजनाओं में लोगों का सहयोग प्राप्त करना शुरू किया है। ग्राम पंचायतें भी प्रत्येक वर्ष प्राप्त होने वाले अनुदान से अनेक परियोजनाएं लागू करती हैं। तीनों ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त अनुदानों एवं पिछले वित्त वर्ष में प्राप्त राजस्व की स्थिति नीचे दी गई हैः

- एलेऊ – लगभग रू 2,00,000 अनुदान स्वरूप तथा रू 8,000 10,000 कर संग्रहण
- प्रीनि-रू 93,829 अनुदान स्वरूप तथा रू 5,000 कर संग्रहण
- जगतसुख – रू 5,00,000 सरकारी आबंटन स्वरूप तथा रू 60,000 कर स्वरूप

परियोजना गांवों में हाल ही के वर्षो में लागू की गई कुछ परियोजनाओं के ब्योरे नीचे दिए गए हैः

एलेऊ

एलेऊ छोटा सा गांव है जो कि सामान्यतः विकासशील परियोजनाओं में अपेक्षित रह जाता है। अतः इस गांव में कुछ ही विकास परियोजनाओं शुरू की गई है।

- एलेऊ के लोगों ने पाइप से पानी-आपूर्ति की मांग 5 वर्ष पहले की थी जिसे एक वर्ष में पूरा कर दिया गया था।
- ग्राम पंचायत प्रत्येक वर्ष सफाई अभियान गांव में शुरू करती है तथा गांव का प्रत्येक व्यक्ति इसमें शामिल होता है।
- जल विभाजक विकास संबंधी कार्य वशिष्ट में ग्राम पंचायत मुख्यालय में किए गए थे।
- वन विभाग द्वारा गांव में एक पौधशाला (नर्सरी) शुरू की गई थी लेकिन इस वर्ष बालवृक्ष उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

प्रीनि

ग्राम पंचायत सड़कों की देख-रेख, जल-कार्य, सिंचाई नहरों के निर्माण, छोटे पुलों के निर्माण तथा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुदान देने के काग्र करती है। कुछ अन्य विकास परियोजनाएं भी गांव में शुरू की गई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं।

- प्रधानमंत्री कोष से पाइप से जल आपुर्ति को बढ़ाना
- वन विभाग के माध्यम से जल विभाजक विकास । 3-4 वर्ष पहले लगभग 3 बीधे में ये काम पूरा किया गया था।
- वन विभाग तथा जल विभाजक विकास विभाग की सहायता से प्रत्येक वर्ष वन-रोपण कार्य किए जाते हैं। लगभग 3 वर्ष पहले 10 एकड़ जमीन में पौधे लगाए गए थे। गांव में 11-12 सदस्यों वाली एक संयुक्त वन प्रबन्धन समिति (जे एफ एम) बनाई गई है।

- गरीबी रेखा से नीचे के जीवन स्तर वाले परिवारों के लिए एक स्व सहायता समुह शुरू की गई हैं। लेकिन इसमें अभी तक कोई बैंक खाता नहीं खुला है।

जगत सुख

इस समय की विद्यमान ग्राम पंचायत ने स्कूल के लिए दो भवनों का निर्माण किया है(ग्राम पंचायत के अन्य गांवो में) तथा गांव में एक विश्राम गृह, सामुदायिक हॉल तथा शमशान का निर्माण किया है। गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक स्टेज, लघु सिंचाई नहरें तथा पुल आदि भी बनवाए गए है। अन्य विकासात्मक परियोजनाएं भी लागू की गई हैं जो इस प्रकार है -

- गांव के लगभग 50 प्रतिशत भाग में नालियां बनाई गई हैं।
- सरकारी स्कीम के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए लेकिन उनमें से कुछेक का ही प्रयोग किया जा रहा है।
- पिछले वर्ष से यू -संरक्षण कार्य शुरू किए गए हैं। एक जल विभाजक, विकास समिति बनाई गई है। 5 स्वयं सेवी दल (3पुरूषों, 1 महिलाओं ओर 1 अनुसुचित-जाति समुदाय के लिए) बनाए गए हैं जो कि परियोजना का ही एक भाग है।
- वन विभाग द्वारा वन रोपण कार्यक्रम शुरू किए गए है। कुछ समय पहले समन्वयन की समस्या थीं। लेकिन अब कार्य सुचारू होने लगे हैं तथा समुदाय इस परियोजना में 10प्रतिशत अंशदान देने को तैयार हो गया है। लेकिन, ग्राम पंचायत इस परियोजना में किए जाने वाले कार्यो के स्वरूप के संबंध में स्पष्ट नहीं है।
- स्वयं सेवी दलों के माध्यम से वर्मि-कम्पोजरिंग शुरू किया गया है। ग्राम पंचायत इसे और बढ़ाने की योजना बना रही है।

6.4 पणधारी

पणधारी उन व्यक्तियों या समूहो को कहते हैं जिनका प्रस्तावित कार्यक्रम य परियोजना में हिस्सा होता है तथा जो परियोजना नीति को प्रभावित करने, योजना बनाने तथा कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका अदा करते है। पणधारियों की पहचान करना तथा विश्लेषण करना सामाजिक मूल्यांकन की पहली शर्त है। इसके अलावा सहभागिता संबंधी आयोजना और क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के लिए भी यह अतिआवश्यक है। इससे योजना बनाने, कार्यान्वयन तथा परियोजना के अनुश्रवण के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों से बचने तथा उन्हें कम करने और ए डी एच ई पी के सकारात्मक प्रभाव सम्भव बनाने में भी सहायता मिलेगी।

ए डी एच ई पी के अनेक उप-भाग है जैसे -

- पॉवर स्टेशन एवं अन्य सिविल, संरचनाएं
- परियोजना स्टॉफ के लिए उपनिवेश
- प्रसारण लाइनें
- जोड़ने वाली सड़के

यद्यपि पॉवर स्टेशन का निर्माण सरकारी भूमि पर किया जा रहा है लेकिन कॉलोनियों और सड़को के कुछ भागों के निर्माण के लिए निजी भूमि का भी अर्जन करना होगा।

भू-स्वामी

पणधारियों के बहुत बड़े भाग में वे लोग आते हैं जो भू-अर्जन से प्रभावित होते है। इस प्रभाव की मात्रा भू-अर्जन के पैमाने पर निर्भर करती है जो कि प्रत्येक परिवार से की जानी है तथा ऐसी भूमि-जोत से उन्हें होने वाली जीविका संबंधी हानि पर भी निर्भर करती है। हिमाचल प्रदेश में सभी बच्चों को समान उत्तराधिकार प्राप्त है। व्यवहार में लड़कियां अपने अधिकार लड़को के लिए छोड़ देती है। लेकिन ऐसे परिवर्तन भूमि-रिकार्डो मे दर्शाए नहीं जाते हैं। इसी प्रकार परिवार के लोग आपस में अनौपचारिक रूप से बंटवारे कर लेते हैं यद्यपि उनको नाम अलग-अलग खसरों या प्लॉटों के रिकार्ड में हो सकते हैं लेकिन वे केचल उन्हीं भूमि के हिस्सों पर खेती कर रहे होते हैं। अद्यतन भूमि रिकार्ड न होने के कारण, भूमि के प्रभावित हिस्सों पर कुछेक का वास्तविक स्वामित्व का पता लगाना कठिन हो जाता है।

मुख्य चिंताएं एंव अपेक्षताएं

उन व्यक्तियों के लिए जो अपनी भूमि का एक बड़ा भाग गवातें हैं, उनकी मुख्य चिंता गांव में जुताई के लिए वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता है।वे भुमि गवानें की अच्छी क्षतिपुर्ति की आ ाा करते है तथा वे जहां तक सम्भंव हो सेब के पेड़ो के स्थानातंरण मे सहायता चाहते है। डर यह है कि क्षति पुर्ति मे देरी परियोजना की अनि ि चतता बढायएगी तथा इन प्रभावित पार्सलो से आय पर प्रभाव पड़ सकता हैं।

गैर-कानूनी कृषक

कुछ गांवों में भूमि के बड़े हिस्से को 'देवता' भूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसे कुछ परिवारों को खेती के लिए सौपं दिया जाता है। इसी प्रकार वनों के कुछ अंशों के गैर कानूनी रूप से समाज के कुछ लोग खेती के लिए प्रयोग करते हैं। यद्यपि कुछ गैर-कानूनी स्वामित्व को राज्य द्वारा कानूनी रूप दे दिया गया है, फिर भी अनेक ऐसे मामले है जहां बिना कानून हक के अनेक वर्षो से लोग एक ही भूमि पर खेती करते आ रहे है।

यद्यपि गैर-कानूनी भू-मालिकों की पहचान करने के लिए कोई बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई है फिर भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो 'देवता' या वन भूमि पर अभी भी खेती करते हैं।

मुख्य चिंताएं एंव अपेक्षताएं

सरकार ने सामान्यतः गैर-कानूनी कृषकों की पहचान नहीं की है इसलिए उन्हें मुख्य चिंता यह है कि न केवल उन्हें भूमि गंवाने के बदले मुआवजा नहीं मिलेगा बल्कि उनकी इस भूमि से आय समाप्त हो जाने के कारण भी वह प्रभावित होंगे। उन्हें यह अपेक्षा है कि उन्हें जमीन पर हक रखने वाले लोगो के समान समझा जाए और कम से कम पेड़ों के समाप्त होने और आय सामाप्त होने के बदले मुआवजा तो दिया हीं जाए।

बटाईदार

चूंकि कई परिवारों की भूमि जोत बहुत छोटी है इसलिए इससे उनका गुज़ारा होना कठिन होता है। अतः अनेक लोग दूसरे लोगों की भूमि पर बटाईदार के रूप में खेती करते हैं। बटाईदार के रूप में या तो मिली लागत का 50 प्रतिशत लिया जाता है या उत्पाद का 50 प्रतिशत लिया जाता है। कुछ मामलों मे लागत और उत्पाद दोनों का 60-40 अंश होता है। नमूना सर्वेक्षण में किसी परिवार द्वारा प्रभावित भूमि पर बटाई दारी किए जाने की सूचना नहीं मिली है। लेकिन कुछ परियोजना प्रभावित परिवारों ने बताया है कि वे बटाईदार के रूप में दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं।

मुख्य चिंताएं एंव अपेक्षताएं

भूमि गंवा देने से ये शेयर होल्डर अपनी पारिवारिक आय के एक भाग से भी वंचित होंगे। उन्हें प्रभावित भूमि से आय की हानि का प्रतिकर मिलने की आशा है।

श्रम

अधिकांश लोग कृषि के मौसम में अपने परिवार के सदस्यों (नजदीकी रिश्तेदारों)आदि को श्रम पर कामों में लगा लेते हैं। उसके बदले में उनकी भूमि पर श्रम के रूप में वह भी काम करते हैं। लेकिन गांवों में ऐसे लोग भी हैं जो भूमिहीन हैं तथा केवल श्रमिक के रूप मे कार्य करके जीवन गुजारते हैं। चूंकि उस क्षेत्र में मजदूरी पर श्रमिक के रूप में कार्य करने के अवसर कम होते हैं तो वह केवल बड़ी भूमि-जोतों वाले उन मालिकों पर आश्रित रहते हैं जिनके खेतों पर उन्हें कृषि श्रमिक के रूप में कार्य मिलता है। परियोजना को ऐसे लोगों पर भी प्रभाव हो सकता है।

मुख्य चिंताएं एंव अपेक्षताएं

श्रमिक वर्ग यह समझता है कि कार्य का मुख्य निर्भरता वाला स्त्रोत गंवाने के बदले में उन्हें प्रतिकर दिया जाएगा।

महिला समूह

महिलाएं सामान्यतः दो अलग- अलग समूहों की है। आर्थिक रूप से सम्पन्न महिलाएं काम के लिए खेतों में नहीं जाती हैं, वे घर के कामकाज अधिक देखती है। पशुओं की देखभाल करती हैं। वे शालें, कारपेट आदि बुनने का काम घर पर ही करती हैं। कमजोर वर्गो की महिलाएं घर के काम के अलावा काफी समय तक अपनी खेतों में भी काम करती हैं या दूसरे के खेतों में मजदूरी श्रमिक के रूप मे भी काम करती है। सर्दी के मौसम में जब काम में कठिनाई होती है, वो बुनाई का काम करती हैं और घर का खर्च पूरा करती हैं। यह उनका आय का साधन होता है।

जगतसुख गांव में महिलाओं का स्वयं सेवी दल भी है लेकिन इस स्तर पर यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कोई सदस्य भूमि अर्जन से प्रभावित है अथवा नहीं।

मुख्य चिंताएं एंव अपेक्षताएं

महिलाओं को यह डर होता है कि यदि बाहर से लोग उनके गांव में रहने आंएगे तो उनकी आजादी समाप्त हो जाएगी और किसी भी समय गांव में आने-जाने पर उन पर रोक लगा दी जाएगी। इससे उन्हें उनकी सामाजिक संस्कृति और रीतिरिवाजों के प्रभावित होने की सबसे अधिक चिंता है। उन्हें परियोजना से बेहतर शिक्षा सुविधांए प्राप्त करने से लेकर आय के अवसर जुटाने तक की अपेक्षाएं है। भूमि गंवाने वालों में से अधिकांश को परिवार में कम से कम एक को रोजगार मिलने की इच्छा है।

जनजातीय समाज

इस क्षेत्र में जनजातीय लोग लाहोल-स्फीती के हैं जो 25-30 वर्ष पहले यहां आकर बस गए थे। उनमें से कुछेक के अभी भी लाहोल में मकान हैं। परिवार का एक सदस्य आम तौर पर बड़ा पुत्र उस जमीन की देखरेख के लिए लाहोल मे रहता है। परिवार भी वहां वर्ष में एक बार जाता है। ऐसे जनजातिय परिवार कम हैं जो सड़क निर्माण के लिए पेड़-पौधों के समाप्त होने से प्रभावित होंगे। चूंकि ये जनजातीय परिवार सीमांत समुदायों के हैं इसलिए परियोजना को लागू किए जाने के दौरान उनकी चिंताओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करना होगा।

मुख्य चिंताएं एंव अपेक्षताएं

जनजातीय समाज प्रभावित भूमि के लिए उचित प्रतिकर की आशा रखता है तथा अतिरिक्त वित्तीय सहायता चाहता है।

अन्य संवेदनशील समूह

इस परियोजना में सवेंदनशील समूह में कुछ ऐसे परिवार होते है जिनकी मुखियाएं महिलाएं, विकलांग व्यक्ति है तथा वह परियोजना से प्रभावित हैं एवं परियोजना के परिणाम स्वरूप होने वाली हानि के कारण वह गरीबी रेखा से नीचे के समूह में आ जाएंगे। यद्यपि परियोजना कुछ लोगों को में प्रभावित करती है क्योंकि उनकी भूमि का कुछ भाग ही अर्जन किया जाना है, जबकि कुछ लोग उनकी भूमि जोत का बहुत बड़ा भाग अर्जन होने के कारण गरीबी रेखा से नीचे के स्तर पर आ जाएंगे। उनके आय को उसी स्तर पर लाने के लिए ऐसे असुरक्षित समूहों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

मुख्य चिंताएं एंव अपेक्षताएं

इस समूह की मुख्य चिंता भूमि को गंवाना है क्योंकि यह उनका मुख्य आय का स्रोत है। चूंकि उनमें से अधिकांश के सीमित संसाधन हैं उन्हें अपने भविष्य की चिंताए है। वे रोजगार लेना चाहते हैं। उनकी अपेक्षा की कम से कम परिवार के एक सदस्य को रोजगार मिलना चाहिए ताकि नियमित आय का स्रोत हो सके।

सामूहिक सम्पत्ति संसाधनों(सी.पी.आर) के प्रयोजन

इस क्षेत्र में प्रत्येक गांव के लिए सुनिश्चित गोचर भूमि है जहां समाज के लोगों के अपने पशुओं को चराने की अनुमति होती है। वहां से वह लोग ईंधन की लकड़ी भी प्राप्त करतें हैं। इन गांवों के संबंध मे सुंचना है कि अर्जन की जाने वाली भूमि वहां का चरागाह है तथा उसके लिए वैकल्पिक स्थान भी नहीं है तथा दूसरे गांव के लोग अपने 'गोचर' में इस गांव के पशुओं को चरने नहीं देंगे तथा ईंधन की लकड़ी भी नही लेने देंगे। एक बार परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाने पर गोचर में पशुओं का तथा इस गांव के लोगों का जाना मुश्किल हो जाएगा तथा उस भूमि पर यातायात एवं निर्माण कार्य भी बढ़ जाएगा। स्थानीय नदियां, विशेष रूप से दुहंगन नही यहां सिंचाई का प्रमुख स्रोत है।

मुख्य चिंताएं एंव अपेक्षताएं

लोगों को यह आशंका है कि दुहंगन नदी से जल निकालने के कारण इस गांव के लिए सिंचाई के पानी की बहुत कमी हो जाएगी। सिंचाई के पानी की कमी से उनकी फसलें प्रभावित होंगी। वे चाहते हैं कि परियोजना से उनके लिए सिंचाई के पानी की कमी न हो।

उपरी विद्युत प्रसारण लाइनों से प्रभावित लोग

शिरोपरि प्रसारण लाइनों को बिछाने से कृषि कार्यो में रूकावट पैदा होगी। यद्यपि इससे जमीन पर प्रभाव अधिक होने की सम्भावना नहीं है। लेकिन खम्भें लगाने केवल डालने की अवधि के दौरान कृषि कार्यो को उस समय के लिए रोकना पड़ेगा क्योंकि उनके खेतों में मशीनें और मजदूर उस काम को करेंगे। केबल के मार्ग को अवरूद्ध करने वाले पेड़ो को भी काटा जाना अपेक्षित होगा। प्रसारण लाइनों के निर्माण चरण के सामूहिक सम्पत्ति संसाधन पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

मुख्य चिंताएं एंव अपेक्षताएं

आमतौर पर टॉवर लगाने का तीन चरणों में काम पूरा होता है। एक सामान्य चिंता यह है कि इन तीनों चरणों के दौरान उनकी खड़ी फसलों को नुकसान होगा। प्रभावित लोग चाहते है कि इन तीनों चरणों के दौरान उनके खड़ी फसल के नुकसान की प्रतिपूर्ति की जाए।

ग्रमीण संस्थाएं

सभी गांवों में ग्राम पंचायत प्रमुख पणधारी है तथा परियोजना के कार्यान्वयन में इसके प्रमुख भूमिका अदा करने की सम्भावना है। पंचायत के अलावा स्वयं सेवी दल भी हैं, तथा जल विभाजक विकास समिति वनरोपण समूह हैं जो प्रभावित गांवों के विकास कार्यो में शामिल हैं। ये संस्थाएं विशिष्ट समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है या गांव के लोगों के साथ बातचीत पणधारी के रूप में समझी जाती हैं जिन्हें सही जानकारी देकर बातचीत करने की सही प्रक्रिया अपनाने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इनमें से कुछेक जैसे जल विभाजक विकास समिति या वन रोपण समिति पर्यावरण प्रबन्धन योजना के कार्यान्वयन में शामिल हो सकेगी।

मुख्य चिंताएं एंव अपेक्षताएं

ग्राम पंचायतों को सबसे अधिक चिंता बाहर से बड़ी संख्या में आने वाले और गांव में बसने वाले लोगों से पड़ने वाले प्रभाव की है जिससे जल, ईंधन लकड़ी आदि स्थानीय संसाधनों पर प्रभाव पड़ेगा। उन्हें परियोजना से वर्तमान अवसंरचना को बढ़ाने या गांव के लिए मूलभूत सुख सुविधाएं जुटाने की अपेक्षा है।

6.4.2 अन्य पणधारी

राजनीतिक दल

चूंकि किसी भी राजनीतिक दल का विपक्षी दल परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब कर सकता है इसलिए यह आवश्यक है कि परियोजना की आरम्भिक अवस्था से ही उसे साथ लेकर चला जाए।

सरकारी विभाग

परियोजना के सफल निष्पादन में विभिन्न सरकारी अनुभाग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं जैसे भूमि अर्जन, भू-स्वामियों को राशि का हस्तान्तरण तथा संबंधित विभागों जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, विद्युत विभाग, वित्त विभाग, वन स्थानीय स्व-शासी संस्थाएं जैसे पंचायत, जिला परिषद आदि से अनुमति लेना आदि।

गैर सरकारी संगठन और मीडिया

नमूना सर्वेक्षण के लिए शामिल किए गए तीनों गांवों में कोई गैर सरकारी संगठन नहीं है। लेकिन मनाली जिले में व्यापक स्तर पर विकासात्मक विषयों को लेकर अनेक गैर सरकारी संगठन कार्यरत हैं। अभी तक किसी गैर सरकारी संगठन ने इस परियोजना में रूचि नहीं दर्शाई है और न ही परियोजना के प्राधिकारियों ने उनसे सम्पर्क किया है। लेकिन, यहां के लोगों को परियोजना के पक्ष में करने के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों की तथा पुनर्वास कार्य योजना के कार्यान्वयन में साथ लेना उपयुक्त होगा।

हिमाचल प्रदेश में सूचना देने के लिए मीडिया का व्यापक मंच उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उन्हें सक्रिय रूप से शामिल नहीं किया गया है, फिर भी स्थानीय मीडिया में उस परियोजना के बारे में थोड़ी सूचना प्रस्तुत की गई है। उपयुक्त स्थिति में परियोजना प्राधिकारियों को मीडिया को सही सूचना उपलब्ध करानी होगी जिससे अन्य पणधारियों तक सूचना पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

सेवा प्रदायक

टूर आपरेटर, ट्रांसपोर्टर तथा आगत प्रदायक जैसे सेवा प्रदायक निश्चित रूप से परियोजना से प्रभावित होंगे। इस परियोजना के माध्यम से उन्हें अधिक कारोबार के अतिरिक्त अवसर भी मिल सकते हैं।

वित्तीय संस्थाएं

भारत में तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जो परियोजना के लिए वित्त से सम्बन्धित है, पणधारी है क्योंकि उन्हें परियोजना में निवेश करना है। वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि लागत में वृद्धि हो जाने तथा निवेश की लाभप्रदता में कमी आने के कारण परियोजना में विलम्ब नहीं किया जाएगा। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अन्य जोखिम कम से कम रहें। परियोजना का कोई प्रतिकूल प्रभाव वित्तीय संस्था की छवि को भी धुमिल कर सकता है।

6.5 परियोजना प्रभावित लोगों की रूपरेखा

6.5.1 परिचय

यह खण्ड परियोजना-प्रभावित लोगों की दृष्टि से सामाजिक-आर्थिक विवरण प्रस्तुत करता है।

यह रूपरेखा तीन परियोजना प्रभावित गांवों में बसे लगभग 140 परिवारों के नमूना सर्वेक्षण (62 परिवारों का या 25 प्रतिशत नमूने) पर आधारित है।

6.5.2 सामाजिक ढांचा

अधिकांश प्रभावित परिवार हिन्दू हैं तथा कुछ लोग (विशेष रूप अनुसूचित जनजातियां) बौद्व है। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उपलब्ध कराए गए भूमि रिकार्डो के अनुसार, प्रभावित परिवारों में मुसलमान, सिख और ईसाई कोई नहीं है। सर्वेक्षण किए गए लोगों में 97 प्रतिशत हिन्दू धर्म के मानने वाले हैं तथा शेष बौद्व धर्म के हैं। हिन्दुओं में अधिकांश लोग ऊचें वर्ग के है जबकि बौद्व परिवार अनुसूचित जनजाति के हैं। निम्नलिखित तालिका परियोजना प्रभावित परिवारों का ब्योरा प्रस्तुत करती है।

तालिका 6.12 सामाजिक वर्गीकरण

श्रेणी	परियोजना प्रभावित परिवार का प्रतिशत
हिन्दू	96.8
सामान्य	91.7
ओ. बी. सी.	3.3
अ0 जा0	5.0
बौ)	3.2

प्रीनि, जगतसुख तथा एलेऊ में अधिकांश प्रभावित परिवार राजपूत और ब्राहम्ण है। यद्यपि किसी समुदाय के साथ भेदभाव की सूचना नहीं दी गई हैं फिर भी ऊंचे वर्ग के लोगों का गांव के विकास संबंधी मामलों में प्रभाव अधिक है। किसी भी गांव में अनुजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो के लिए कोई अलग स्थान विशेष नहीं है। अनुसुचित-जाति के लोग भी अधिक संख्या वाले अन्य समाज के लोगों में ही रहते हैं

6.5.3 परिवार का आकार

तीनों गांवों में औसत परिवार का आकार बड़ा है। यद्यपि सभी लोगों ने यह बताया कि छोटे परिवारों का चलन बढ़ रहा है, नमूना सर्वेक्षण में पता चला कि अभी भी वहां संयुक्त परिवार काफी हैं। छोटे परिवारों में भी परिवार के सदस्यों की संख्या अधिकाशतः चार से अधिक है। परिवारों में औसतन परिवार का आकार 6.5 सदस्यों का है, यद्यपि महत्वपूर्ण प्रतिशतता (30प्रतिशत से अधिक) 8 सदस्यों की है। परियोजना

प्रभावित परिवारों में परिवार सदस्यों की संख्या को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 6.13: परिवार-आकार

परिवार के सदस्यों की संख्या	परियोजना प्रभावित परिवारों का प्रतिशत
0-4	25.8
5-7	43.5
8-10	21.0
10 से अधिक	9.7

परियोजना प्रभावित गांवों में, अनेक छोटे परिवार उसी घर में रहते हैं जहां परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं लेकिन उन्हें रसोई अलग होगे के कारण अलग परिवार माना गया है।

6.5.4 शिक्षा

परियोजना प्रभावित परिवारों में शिक्षा का स्तर भिन्न है। कुछ स्नातक है तो कुछ अनपढ़ भी है। चूंकि सभी तीन गांवों में कम से कम एक प्राइमरी स्कूल है, युवा वर्ग में साक्षरता स्तर अधिक है। बढ़ी आयु के लोगों या तो अनपढ़ है या 5 वीं कक्षा से अधिक पढ़े नहीं है। उससे कम आयु के लोगों लगभग दसवी कक्षा तक अवश्य पढ़े हैं। पी ए पी में कुछेक स्नातक शिक्षा वाले हैं (10 प्रतिशत से कम) जबकि इन में से दो ने स्नात्तकोत्तर शिक्षा भी पूरी की है।

6.5.5 प्रवास पैट्रन

पहाड़ों में प्रवास एक आम बात है कयोंकि लोग सामान्यतः सर्दी के मौसम में निचले क्षेत्रों में चले जाते हैं क्योंकि उनके खेत बर्फ से ढक जाते हैं। ये लोग आमतौर पर दो घर बनाते हैं और कभी-कभी तो लोग दो गांवो में जोत भी रखते हैं।

नमूना सर्वेक्षण के दौरान, यह देखा गया है कि कुछ गांवों में जैसे हामटा, पुरूष निचले क्षेत्रों में किसी काम की तलाश में चले गए थे जबकि महिलाएं बच्चों के साथ पशुओं की देखभाल उसी गांव में रहकर करती थी। ऐसे समय के दौरान गांव में केवल महिलाएं और बच्चे ही रह गए थे। महिलाएं न केवल पशुओं की देखरेख करती हैं बल्कि वे बुनाई का काम भी करती हैं। यद्यपि महिलाओं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही बुनाई करती हैं लेकिन कुछ महिलाएं परिवार की आय बढ़ाने के लिए भी बुनाई व्यवसाय के रूप में करती हैं।

6.5.6 संवेदनशीलता

परिवारों की सवेंदनशील के निम्नलिखित कारण हैः

- महिला-प्रधान परिवार
- बुजुर्ग सदस्यों वाले परिवार, 60 वर्ष से अधिक आयु के
- ऐसे सदस्यों वाले परिवार जो मानसिक या शरीरिक रूप से विकसित नहीं है
- गरीबी रेखा से कम आय स्तर

सूचना राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। वार्षिक आय के अतिरिक्त, दुपहिया वाहन, टेलीविज़न सैटो जैसी परिसम्पतियों को भी गरीबी रेखा से उपर एक परिवार घोषित करने के लिए एक मानक है।

प्रभावित परिवारों में से 8 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के जीवन स्तर (20,000 प्रतिवर्ष)[1] वाले थे, 18 प्रतिशत (दर्शाई गई संख्या 25) महिला प्रधान परिवार थे। इसी प्रकार की प्रतिशतता में कम से कम 1 शारीरिक या मानसिक अविकसित व्यक्ति वाला परिवार था। 55 प्रतिशत (दर्शाई गई सख्या 77) परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक की आयु का था। अनेक परिवारों में एक से अधिक असुरक्षित स्थिति के सूचक थे। बी पी एल परिवारों के 40 प्रतिशत महिला प्रधान थे, 20 प्रतिशत बी पी एल परिवरों में एक विकलांग सदस्य था जबकि उनमें से 80 प्रतिशत परिवारों में 1 सदस्य 60 वर्ष से अधिक आयु का था। यह स्पष्ट रूप से असुरक्षित स्थिति और गरीबी के बीच सम्बन्ध बताता है।

6.5.7 व्यावसायिक रूपरेखा

परियोजना प्रभावित परिवारों का कृषि प्रमुख व्यवसाय है। गांवों में अधिकांश लोग (तथा परियोजना प्रभावित परिवार भी) अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि तथा बगान व्यवसाय पर निर्भर करते है। कुछ परियोजना प्रभावित परिवार जिनके पास छोटी जोत है, अन्य छोटे-छोटे व्यवसाय भी करते हैं जैसे श्रम, डेरी या अन्य छुट-पुट काम। निम्नलिखित तालिका विभिन्न व्यवसायों में लगे पी ए पी की प्रतिशत दर्शाती है।

तालिका 6.14: व्यावसायिक रूपरेखा

व्यवसाय	पी ए एफ की प्रतिशत सख्या

कृषि	77.4
वृक्षारोपण	96.8
नौकरी	24.2
कारोबार	12.9
श्रम	22.6
डेरी	11.3
अन्य	6.5

भूमि स्वामित्व

परियोजना प्रभावित परिवारों की जोतों में अत्याधिक भिन्नता है। कुछ परिवारों में भू जोत भी अनेक भिन्न-भिन्न हिस्सों में बंटी हुई है। कुछ मामलों में लोगों के पास एक से अधिक गांवों में जमीन है। बड़ी जोतों वाले अधिकतर लोगों ने बताया कि उनकी कुछ मात्रा में भूमि बंजर पड़ी है जहां पर खेती नहीं की जाती है।

परियोजना प्रभावित परिवारों में औसत भू-स्वामित्व का आकार कुल्लू जिले के औसत भू स्वामित्व के आकार (9.64 बीधा) से थोड़ा कम (8.87 बीघा)है। सर्वेक्षण किए गए परियोजना प्रभावित परिवारों ने 35 प्रतिशत से अधिक के पास 5 बीधा से कम जमीन है। पर्यटन उद्योग के तेजी से विकास के कारण मनाली क्षेत्र में भूमि की कीमतें बहुत बढ़ा दी हैं। परियोजना प्रभावित परिवारों के स्वामित्वाधीन भू-जोत की सीमा तालिका में दी गई है।

तालिका 6.15 भूमि जोत

भुमि जोत का आकार (बीधों में)	**परियोजना प्रभावित परिवारों का प्रति ात**
2 से कम	14.5
2.1 से 5 तक	24.2
5.1 से 10	32.3
10.1 से 15 तक	12.9
15.1 से अधिक	16.1

बीघा 809.28 वर्ग मी.या 0.081 हैक्टर के बराबर है

भूमि स्वामित्व का सबसे छोटा आकार 1 बीधा (0.081 हैक्ट.) है तथा सबसे बड़ा आकार 60 बीधा है।

सिंचाई

इस क्षेत्र में सिंचाई सामान्यतः चावल की फसल के लिए की जाती है तथा कुछेक स्थानों पर गेहूं तथा सरसों के लिए की जाती है। अधिकांश किसानों (लगभग 85 प्रतिशत) के

पास के अपने खेतों में ही सिंचाई की सुविधा है। इन तीनों गांवों में सिंचाई का स्रोत एक नदी की धारा है सिंचाई नहर में जोड़ा गया है। सेब के अधिकांश बागों के लिए सिंचाई सुविधा नही है। इसके लिए पानी की पूर्ति वर्षा से ही हो जाती है। निम्नलिखित तालिका परियोजना प्रभावित परिवारों की जोत की सिंचाई के ब्योरे दर्शाती हैः

तालिका 6.16 भूमि स्वामित्व

सिंचाई की स्थिति	भूमि जोतों का प्रतिशत
हां	19.4
आंशिक	66.1
नहीं	14.5

आय-स्तर

इन तीनों गांवों में अधिकांश प्रभावित लोगों ने कृषि को अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनाया हुआ है ये उनके तथा उनका आय का भी स्रोत था। उन परिवारों की सभी स्रोतों से जैसे कृषि, कारोबार, नौकरी, श्रम आादि से आय को जोड़ कर आय-स्तर निर्धारित किया गया था। चूंकि कृषि तथा से आय का निर्धारण अधिकतर लोगों के लिए कठिन था, इसलिए उनकी आय का निर्धारण फसल की किस्म, खेती की गई फसल के बाजार मूल्य, प्रत्येक फसल के लिए किए गए व्यय आदि के आधार पर किया गया था। इसी प्रकार श्रम से आय के निर्धारणतया के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों से श्रम का प्रकार, दिनों की औसत संख्या, तथा औसत मजदूरी दर आदि की जानकारी ली गई।

परिवार की प्रतिमाह कुल आय की विभिन्न सीमाओं में परिवारों की प्रतिशतता नीचे तालिका में दी गई हैः

तालिकाः 6.17

कुल पारिवारिक आय

आय श्रेणी	परिवारों का प्रतिशत
2000 से कम	8.1
2001 - 4000	27.4
4001 - 6000	9.7
6001 - 10,000	14.5
10,001 - 15000	17.7
15000 से अधिक	22.6

उपरोक्त तालिका अन्य राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की आय की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक आय दर्शाती हैं। लेकिन, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि कृषि तथा बागान से आय उनकी अच्छी फसल के आधार पर ली गई हैं। चूंकि कृषि और बागान दोनों ही पूर्णतः उपयुक्त जलवायु स्थिति पर निर्भर करतें हैं, इसलिए कुछ वर्षो में उत्पादन कम भी हुआ हैं। उदाहरण स्वरूप परियोजना प्रभावित गावों में, पिछले वर्ष में फसल तीन वर्षो की तुलना में की फसल से काफी अच्छी हुई थी। यहां तक कि सर्वेक्षण के दोरान 1,00,000 रू प्रतिवर्ष से अधिक आय बताने वाले लोगों ने भी बताया कि खराब फसल वाले वर्षो में अधिक तंगी हो जाने के कारण उन्हे अपने बच्चों को स्थानीय स्कुलों से निकालना भी पड़ा था।

कृषि से आय

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया हैं, अधिकाशं लोग जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर आश्रित हैं) वे अधिकतर दो फसलें खरीफ तथा रबी प्रतिवर्ष प्राप्त करतें हैं। जलवायु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण वह तीसरी फसल प्राप्त नही कर सकते। परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा बनाई गई सामान्य फसलें चावल, मक्का, सरसों, गेंहू, बाजरा, दालें राजमां आदि है

सभी प्रभावित परिवार कृषि से आय का स्पष्ट उल्लेख करने में असमर्थ थे। ज्यादा से ज्यादा वह यह बता सकें कि कितने माह तक उस उत्पाद से उनका गुजारा हूआ था तथा उसके बराबर वें कितना खर्च वह करतें यदि वे उन्ही चीजों को बाजार से खरीदते।

उनमें से कुछेक चारा फसलें भी उगाते हैं तथा वह बचाई गई राशि के रूप में आंकड़े देने में भी असमर्थ थे।

निम्नलिखि्त तालिका परियोजना प्रभवित परिवारों की कृषि से आय तथा कृषि से आय की कुल पारिवारिक आय से प्रतिशतता को दर्शाती है।

तालिका 6.18 कृषि से आय प्रति माह

आय श्रेणी (रूपयों में)	परिवारों का प्रति ात
0	22.6
1 - 500	27.6
501 -1000	14.5
1001 - 2000	22.6
2001 से अधिक	12.9

तालिका 6.19 कृषि आय पर आय निर्भरता

निर्भरता	परियोजना प्रभावित परिवारो का प्रति ात
शून्य	22.6
1–15 प्रतिशत	54.8
15 – 30 प्रतिशत	15.6
30 प्रतिशत से अधिक	14.5

वृक्षारोपण से आय

सर्वेक्षण किए गए लगभग सभी परियोजना प्रभावित परिवारों के पेड़ है और उनसे कुछ न कुछ आय होती है। अनेक परियोजना प्रभावित परिवार अपनी जीविकोपार्जन है। के लिए पेड़ उगाते है। इनमें से अधिकांश लोगों के सेब के बाग हैं जबकि अन्य कुछेक के नाशपाती के पेड़ हैं। लेकिन इस परियोजना द्वारा केवल सेब के पेड़ ही प्रभावित होगें। क्योंकि कृषि का भांति सेब का उत्पादन भी अनुकूल जलवायु स्थितियों पर निर्भर होता है इसलिए लोगों ने बताया कि जब भारी बर्फ पड़ती है केवल तभी उन्हे अच्छी फसल मिलती है। फसल से आय भी फल के आकार, उस क्षेत्र में कुल फसल आदि बातों पर निर्भर करती हैं। अधिकांश लोग उपज को दलाल को बेचते हैं लेकिन कुछ बड़े बाजारों में (दिल्ली) सीधे भी बेचते है। कुछ लोग सभी पेड़ो का ठेका दे देते है। जो परिवार उन पेड़ो की देखरेख, फसल, तथा उसके पश्चात विक्रय के काम नहीं कर सकते या कोई सहायता नहीं प्राप्त कर सकते वह फसल के लिए ठेका दे देते है। ठेके भी खराब फसल से नुकसान होने से बचने का उपाय है क्योकि ठेके पेड़ पर फल लगने से पहले दिए जाते है तथा हानि पूर्णतः ठेकेदार द्वारा बहन को जाती है।

पिछले वर्ष लगभग 3–4 वर्षो की लगातार खराब फसल के बाद अच्छी फसल वाला वर्ष रहा है। खराब फसल वाले वर्षो में किसानों के लिए न लाभ न हानि की स्थिति भी नहीं थी। यह भी बताया गया कि सेब के पेड़ों की उन्हें बड़ा करने और फल लगने तक 10 वर्ष तक देखरेख करनी पड़ती है(जिस पर लागत भी बहुत आती है)

निम्नलिखित तालिका वृक्षारोपण से मासिक आय की एक झलक प्रस्तुत करती है

तालिका 6.20 वृक्षारोपण से आय

आय	परियोजना प्रभावित परिवारों का प्रतिशत
0	3
1 से 2000	15
2001–5000	34
5001–10000	23
10001–15000	10
15001 से	16

अधिक	

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अधिकांश प्रभावित परिवार जीविका के लिए बागानों पर निर्भर हैं।

निम्नलिखित तालिका कुल पारिवारिक आय के लिए बागानों पर निर्भरता दर्शाती है

तालिका : 6.21 वृक्षारोपण से आय पर निर्भरता

निर्भरता (प्रतिशत में)	परियोजना प्रभावित परिवारों का प्रतिशत
0	3
1–15 प्रतिशत	0
15–30 प्रतिशत	8
30–50 प्रतिशत	13
50–75 प्रतिशत	31
75–99 प्रतिशत	37
100 प्रतिशत	8

6.5.9 लोगों की मांग

इन तीनों गांवो में विकास के लिए अपेक्षाएं लगभग एक जैसी है, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं भिन्न हैं। इस उपखण्ड समुदायों की गांव की प्राथमिकताएं प्रस्तुत की गई हैं

एलेऊ

- सर्दियों में बिजली आपूर्ति निरन्तर हो/सुधार किया जाए
- बाथरूम बनाए जाएं
- सामुदायिक, शौचालयों का निर्माण जिनकी देख रेख परियोजना या ग्राम पंचायत द्वारा की जाए। उनके अनुरक्षण में लोग भी अंशदान देने के इच्छुक है।

प्रीनि

- सरकार की सहायता से कृषि के साधनों में सुधार करना।
- अच्छी नस्ल के गाय-बैल और बकरियों।
- गांव में कम से कम एक औषधालय।
- सामुदायिक शौचालय।

जगतसुख

- रोजगार के अवसर।
- बेहतर शिक्षा सुविधाएं।
- नियमित तथा अच्छी सिंचाई सुविधाएं सुलभ कराना।
- अस्पताल।

- अच्छी सड़के।
- गली में रोशनी।
- बेहतर जल विकास सुविधाएं।
- सीवर-व्यवस्था।

परियोजना से अपेक्षाएं

एलेऊ गांव में लोगों का परियोजना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था क्योंकि सड़के बनने से अर्थव्यवस्था के विकास के अवसर अपेक्षित हैं लेकिन जगतसुख ने और प्रीनि में लोग गांव में परियोजना के कार्यो से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें उत्पादक भूमि बड़े पैमाने पर गंवाए जाने का क्षोभ था। उन्हें प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी तथा गांव के आस-पास के क्षेत्र में बड़ी सख्या में बाहर को लोगों का आकर बसना भी पसंद नहीं था। कुछ लोगों जिनकी भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा जाने का खतरा था तथा उनका जीविका का साधन भी समाप्त होने वाला था, जोरदार शब्दों में रोष व्यक्त किया।

परियोजना से उनकी अपेक्षाएं पूछे जाने पर उन्होंने उचित प्रतिकर लेने के अलावा रोजगार को सूची में सबसे ऊपर बताया, विशेष रूप से जिन परिवारों की भूमि के अंशों का अर्जन किया जाना था। परियोजना से कुछ अपेक्षाओं का उल्लेख नीचे किया गया हैः

एलेऊ

- रोजगार
- वर्तमान स्कूल भवन का सुधार, माध्यमिक स्कूल बनाना
- गली में रोशनी
- सड़कें बनाने से पर्यटन के बढ़े हुए अवसर

प्रीनि,

- रोजगार
- स्कूल यह सुझाव दिया गया कि वर्तमान स्कूल भवन का प्रयोग पी एच सी के लिए किया जा सकता है तथा स्कूल को अधिक शांति पूर्ण क्षेत्र में स्थित नए भवन में स्थानान्तरित किया जा सकता है।
- एक स्थानीय बैठक (विशेष रूप से पंचायत तथा ग्राम स्तर की बैठकों के लिए एक छोटा स्टेडियम)

जगतसुख

जगतसुख में समाज के सदस्यों के साथ-साथ ग्राम पंचायत ने यह कहा कि वह इस संबंध में परियोजना प्रस्तावकों के साथ चर्चा करना चाहेंगे। वे पहले ही ग्राम पंचायतों के 2 संकल्प परियोजना प्राधिकारियों के पास भेज चुके हैं जिसमें उन्हें चर्चा के लिए आने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने उनकी ओर से कोई उत्तर प्राप्त न होने पर नाराजगी प्रकट की। यह भी बताया गया कि ग्राम पंचायत उस अर्जन के लिए प्राइवेट भूमि के स्थान पर पंचायत भूमि उपलब्ध कराए जाने की इच्छुक हो सकती है, इस गांव में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है।